



भारतीय रिज़र्व बैंक  
निर्गम विभाग, लखनऊ

सिक्कों की बोरियों और नोटों के बक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम मजदूरों की आपूर्ति हेतु निविदा

**भाग I – तकनीकी वाणिज्यिक बोली**

ई-निविदा संख्या: RBI/Lucknow Regional Office/Issue/1/26-27/ET/80

निविदाकार का नाम: \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**नोट:**

**सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि भाव बताने से पहले हर मद के अंतर्गत कार्य के विवरण के लिए इस दस्तावेज़ के भाग I में उल्लिखित मदों का संदर्भ ग्रहण करें।**

## अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ ने यह दस्तावेज़ इच्छुक पार्टियों को कार्य के पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए तैयार किया है। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य इच्छुक पार्टियों को कार्य की जानकारी देना है। यह दस्तावेज़ न तो कोई करार है और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से संभावित बोली लगाने वालों या किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रस्ताव है। यह बोली दस्तावेज़ सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और न तो भारतीय रिज़र्व बैंक एवं न ही उसके किसी अधिकारी या एजेंसी तथा न ही उनके किसी संबंधित प्राधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए यह संभव है कि वे इस दस्तावेज़ को पढ़ने या इस्तेमाल करने वाली हर पार्टी की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करें। इस दस्तावेज़ में दिए गए अनुमान, आकलन, बयान और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती हैं। इसलिए, हर बोली लगाने वाले को अपनी खुद की जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस बोली दस्तावेज़ में दिए गए अनुमानों, आकलनों, बयानों और जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता, सत्यता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और किसी भी कानून, कानून नियमों या विनियमों या अपकृत्य, प्रतिपूर्ति के सिद्धांतों या अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यथा किसी भी नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए किसी भी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा, जो इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या खर्च या पीड़ित हो सकता है, बोली की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता और उसमें निहित किसी भी मूल्यांकन, धारणा या जानकारी को शामिल करना या इस दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाता है।

यह जानकारी संपूर्णता का दावा नहीं करती है। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे अपनी खुद की जांच करें और जवाब देने वालों को लिखित में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया या उसके किसी भी अधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी प्राधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है।

इस दस्तावेज़ के जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी बोलीदाता का चयन करने या नियुक्त करने के लिए बाध्य है और भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोलीदाताओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक भी निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष/बोलीदाता के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

यह एक खुली निविदा है। वे बोलीदाता/वेंडर जो इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसमें निर्देशित विवरण प्रस्तुत करते हैं, वे इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। बोलीदाता बोलियां जमा करने से पहले इस निविदा में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।

**भारतीय रिज़र्व बैंक  
निर्गम विभाग, लखनऊ**

**निविदा आमंत्रण सूचना**

दिनांक: 14 मई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस धारक श्रम ठेकेदारों से दो भागों में ई-निविदा आमंत्रित करता है: "भाग - I - सिक्कों की बोरियों और नोटों के बक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और शारीरिक रूप से सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा - तकनीकी बोली" और "भाग - II - सिक्कों की बोरियों और नोटों के बक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और शारीरिक रूप से सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा - मूल्य बोली"। यह अनुबंध 21 महीनों (01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक) की अवधि के लिए होगा, जिसे बैंक अपने विवेक से, अनुबंध की शर्तों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन, शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, एक और वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है। कार्य की अनुमानित लागत एक वर्ष के लिए लगभग 40 लाख 70 हजार रुपये और 21 महीनों के लिए लगभग 71 लाख 22 हजार 500 रुपये है; हालाँकि, वास्तविक राशि में भिन्नता हो सकती है।

2. उपर्युक्त ई-निविदा/निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी MSTC की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध होगी। पात्रता मानदंडों का विवरण और निविदा आमंत्रित करने वाली विस्तृत सूचना बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के निविदा लिंक [https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewTenders.aspx](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx) पर भी उपलब्ध है। टेंडर प्रक्रिया M/s MSTC Ltd के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/>) के माध्यम से पूरी की जाएगी। ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, सभी इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर बताई गई वेबसाइट के माध्यम से M/s MSTC Ltd के साथ अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

3. ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 04 जून, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक है, और निविदा का भाग - I उसी दिन दोपहर 3:30 बजे या उसके बाद खोला जाएगा। यदि ऊपर बताई गई कोई भी तिथि अवकाश घोषित कर दी जाती है, तो यहाँ बताए गए संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्य दिवस प्रभावी माना जाएगा। भाग - II, यानी मूल्य बोलियाँ, केवल उन ठेकेदारों/बोलीदाताओं के संबंध में खोली जाएँगी जो भाग - I में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।

4. ई-निविदा प्रक्रिया के लिए अनुसूची निम्नानुसार है:

ई-निविदा अनुसूची	दिनांक और समय की अनुसूची
देखने के लिए एनआईटी की उपलब्धता	14 मई 2026 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से) से 04 जून 2026 तक
बोली पूर्व बैठक	मई 21 2026 को अपराह्न 03: 30 बजे
ऑनलाइन बोली लगाने की अवधि	14 मई 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 04 जून 2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक
भाग - I के खुलने की तिथि	04 जून 2026 को अपराह्न 03:30 बजे या उसके बाद

ई-निविदा अनुसूची	दिनांक और समय की अनुसूची
भाग - II के खुलने की तिथि	सभी पात्र निविदाकर्ताओं को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से तिथि और समय की सूचना दी जाएगी।

5. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि ई-निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
लखनऊ

## निविदा अनुसूची (एसओटी)

नोट: यह एक खुली निविदा पूछताछ है। वे बोलीदाता/वेंडर जो इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसमें निर्देशित विवरण प्रस्तुत करते हैं, वे इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। बोलीदाता बोलियां जमा करने से पहले इस निविदा में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।

<b>ए.</b> कार्य की प्रकृति	सिक्कों के थैलों और नोटों के बक्से को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए निविदा।
<b>बी.</b> ई-निविदा सं.	RBI/Lucknow Regional Office/Issue/1/26-27/ET/80
<b>सी.</b> निविदा का तरीका (ऑनलाइन)	एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट पर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ( <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprocn/">https://www.mstcecommerce.com/eprocn/</a> ) (ऑनलाइन भाग - I - तकनीकी बोली और भाग - II – कीमत बोली)
<b>डी.</b> अनुबंध की अवधि	(01 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2028) यह अवधि पारस्परिक सहमति के अनुसार अनुबंध की शर्तों में संशोधन के साथ/बिना एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
<b>ई.</b> काम का अनुमानित मूल्य	एक वर्ष के लिए लगभग ₹40,70,000 और 1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक इक्कीस महीनों के लिए लगभग ₹71,22,500। कृपया ध्यान दें कि कार्य का वास्तविक मूल्य अलग हो सकता है, और अनुबंध की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।
<b>एफ.</b> जिस तारीख को एनआईटी पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा	14 मई 2026 (सुबह 11:00 बजे से) से 04 जून 2026 तक
<b>जी.</b> प्री-बिड मीटिंग (ऑफ-लाइन)	21 मई, 2026 03.30 बजे स्थान: निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ
<b>एच.</b> बयाना जमा राशि (ईएमडी)	अनुमानित लागत का 2% यानी ₹81400/- (इक्यासी हजार चार सौ रुपये मात्र) आरबीआई, लखनऊ के खाता संख्या 186003001 और आईएफएससी-RBISOLKPA01 में जमा किया जाना है (केवल एनईएफटी द्वारा)।
<b>आई.</b> एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	04 जून 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक
<b>जे.</b> लेन-देन शुल्क	जैसा कि एमएसटीसी पोर्टल पर लागू है।
<b>के.</b> ऑनलाइन तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	14 मई 2026 को सुबह 11:00 बजे से

<a href="https://www.mstcecommerce.com/eprocn/">https://www.mstcecommerce.com/eprocn/</a>	
<b>एल.</b> तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा की अंतिम तिथि	04 जून 2026 को दोपहर 2.00 बजे तक
<b>एम.</b> भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	04 जून 2026 को दोपहर 3.30 बजे या उसके बाद
<b>एन.</b> वित्तीय बोली खोलने का समय	भाग-II अर्थात मूल्य बोली केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं के संबंध में खोली जाएगी जिनके भाग-I अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे निविदाकारों (निविदारों) को उनके द्वारा पुष्टि की गई ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

यदि ऊपर बताई गई कोई भी तारीख छुट्टी घोषित कर दी जाती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को यहाँ बताए गए संबंधित उद्देश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा।

निर्धारित तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकार कर दिए जाएँगे।

जो निविदा बोली दस्तावेज़ों के प्रावधानों का पालन नहीं करते, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।

किसी भी समस्या/विवाद की स्थिति में, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम बोली वाले निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, और उसे किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

निविदा दस्तावेज़ [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) और [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक

## ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी/की जाएगी। वेंडर के पास कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई लखनऊ ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और तकनीकी बोली केवल [www.mstcecommerce.com/eprocn/](http://www.mstcecommerce.com/eprocn/) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है (संस्करण 3)

ए. वेंडरों को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों → आरबीआई लोगो का चयन करना आवश्यक है → वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना → सबमिट करें।

बी. वेंडरों को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, वेंडर आरबीआई/एमएसटीसी (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क कर सकते हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, लखनऊ से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

एमएसटीसी तकनीकी सहायता डेस्क-0361-2221199

श्री विजय नारायण सिंह	वरिष्ठ कार्यकारी	09909080178
एमएसटीसी साइट में तकनीकी सहायता	0522-4244702	आईवीआरएस नंबर- 07969066600
कोलकाता प्रधान कार्यालय	033-35013220/21/22	

एमएसटीसी तकनीकी सहायता डेस्क	0361-2221199
---------------------------------	--------------

उपलब्धता

सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई लखनऊ):

श्री विमल किशोर, सहायक महाप्रबंधक <a href="mailto:vimalkishore@rbi.org.in">vimalkishore@rbi.org.in</a> फ़ोन नंबर: 0522-4667111	श्री निशांत हांडा, सहायक प्रबंधक <a href="mailto:nisanthanda@rbi.org.in">nisanthanda@rbi.org.in</a> फ़ोन नंबर: 0522-4667111
---	--

बी) सिस्टम आवश्यकता:

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii) IE-9 और इसके बाद के संस्करण का इंटरनेट ब्राउज़र।
- iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

टूल्स = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा => संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम किया गया है- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग्स:

टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें।

सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया एक बार [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पृष्ठ से आईई सेटिंग्स चलाएं)

अधिक जानकारी के लिए, वेंडर सिस्टम सेटिंग्स में IE टैब सेटिंग्स गाइड, एज ब्राउज़र और IE टैब और [www.mstcecommerce.com/eprocn/](http://www.mstcecommerce.com/eprocn/) पर उपलब्ध FAQ का उल्लेख कर सकता है।

2. (ए) पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी वेंडरों को निविदा के साथ उसके समर्थन में इंगित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है।

(बी) भाग-। तकनीकी बोली एनआईटी में दी गई विनिर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। भाग-।। कीमत बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-। तकनीकी बोली भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा पुष्टि किए गए वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-।। (कीमत बोली) खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

नोट: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। सामान्यतः इस विषय पर कोई नेगोशियेशन नहीं होगा। इसलिए, बोलीदाता मूल्य बोली जमा करते समय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें जमा करने पर ध्यान दे सकते हैं। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम बोली/दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश निम्नतम बोलीदाता को दिया जा सकता है और यदि बोली/दर को अभी भी उच्च माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

4. लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट: वेंडर, वेंडर लॉगिन में "My Menu" के अंतर्गत "Transaction Fee Payment" लिंक का उपयोग करके ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का भुगतान करेंगे। वेंडर को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट निविदा का चयन करना होगा। वेंडर के पास एन ई एफ टी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एन.ई.एफ.टी का चयन करने पर, वेंडर एक फ़ॉर्म भरकर चालान जेनरेट करेगा। वेंडर चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार ट्रांज़ैक्शन फ़ीस की राशि जमा करेगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एम.एस.टी.सी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस स्वतः अधिकृत हो जाएगी, और वेंडर को सिस्टम द्वारा जेनरेट किया गया एक मेल प्राप्त होगा। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। ट्रांज़ैक्शन फ़ीस का भुगतान किए बिना वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त नहीं होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समापन समय से काफी पहले ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जमा कर दें, ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

5. इस एनआईटी में किसी भी सुधार (यदि कोई हो) के संबंध में, उन निविदा देने वालों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं। बोली लगाने वालों को यह ज़ोरदार सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से भारिबैं/एमएस्टीसी वेबसाइट पर जाते रहें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें किसी भी संशोधन (यदि कोई हो) की जानकारी है। जारी किए गए अतिरिक्त दस्तावेज़/सुधार (यदि कोई हों) अनुबंध दस्तावेज़ का हिस्सा माने जाएंगे। वेंडरों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III साइनिंग और एन्क्रिप्शन प्रकार के डी एस सी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

6. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एनआईटी में दी गई सलाह के अनुसार ईएमडी और निविदा शुल्क, यदि कोई हो, का प्रेषण भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को करें।

## 7. ई-निविदा में बोली:

नोट: वेंडर्स को निर्देश दिया जाता है कि वे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 'My menu' में दिए गए 'Upload Documents' लिंक का इस्तेमाल करें। एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले एक डॉक्यूमेंट का अधिकतम साइज़ 5 एमबी है।

एक बार डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर्स किसी खास e-Tender के साथ 'Attach Document' लिंक के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अगर डॉक्यूमेंट्स किसी e-Tender के साथ अटैच नहीं किए जाते हैं, तो भारिबैं उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा और यह माना जाएगा कि वेंडर ने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं। ज़्यादा मदद के लिए, कृपया वेंडर गाइड में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

- बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करने की आवश्यकता है। लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता (ओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट [www.एमएसटीसीईकॉमर्स।कॉम](http://www.एमएसटीसीईकॉमर्स।कॉम) → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई → मेरा मेनू → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन
- बोलीदाता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है, तो बोलीदाता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- सबसे पहले, वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।  
नोट: अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद, "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।
- सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

- i) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार बुलाया जाएगा।
- j) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां कक्षा III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- k) बैंक के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए।
- l) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- m) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में इंगित की गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

8. इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

9. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में कोई विचलन की अनुमति नहीं है।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

11. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेंडर गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के [www.mstcecommerce.com/eprochome](http://www.mstcecommerce.com/eprochome) पेज में वीडियो देखें।

12. बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।

13. बोलीदाता(ओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। बैंक द्वारा डिफॉल्टर बोलीदाताओं के खिलाफ निलंबन, काली सूची में डालने और कारोबार पर प्रतिबंध लगाने सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

14. बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।

**खंड - I**  
**प्रस्ताव पत्र**

सेवा में,  
क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
निर्गम विभाग  
8-9, गोमती नगर  
लखनऊ - 226010

महोदय,

मैं/हम एतद्वारा प्रस्तुत करते हैं कि मैं/हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की प्रकृति का दौरा किया है और जांच की है और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है, मैं/हम, इसके द्वारा, निर्दिष्ट समय के भीतर और उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं मात्राओं, विनिर्देशों की संलग्न अनुसूची और सभी मामलों के अनुसार, विशेष शर्तों, मात्रा और अनुबंध की शर्तों की अनुसूची और ऐसी सामग्रियों के साथ जो अन्य सभी मामलों में प्रदान की जाती हैं, ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

क्र.सं.	मर्दे	निविदा का विवरण
1	कार्यों का विवरण	सिक्कों की थैलों और नोट बक्सों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए निविदा।
2	अनुमानित लागत/व्यय जो अनुबंध अवधि के दौरान यानी 01 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2028 तक बैंक द्वारा वहन किया जा सकता है	₹71,22,500/- (केवल इकहत्तर लाख बाईस हजार पाँच सौ रुपये) 21 महीनों के लिए। यह राशि केवल सांकेतिक है और बैंक इस ज्ञापन में उल्लिखित अनुमानित लागत/व्यय के बराबर या उससे अधिक व्यय करने के लिए बाध्य नहीं है।
3	भुगतान का तरीका	एनईएफटी
4	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को एनईएफटी के माध्यम से 81,400/- रुपये (इक्यासी हजार चार सौ रुपये मात्र) का भुगतान किया जाना है खाता विवरण:

		खाता नाम: NEFT आवक प्राप्त लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 लाभार्थी IFSC: RBISOLKPA01 (दोनों स्थानों पर '0' शून्य है)
5	निष्पादन बैंक गारंटी	भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में कम से कम ₹2,03,500/- (दो लाख तीन हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की राशि के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से निष्पादन बैंक गारंटी अवार्ड की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर जमा की जाएगी।
6	अनुबंध अवधि	21 महीने (01 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2028 तक)
7	अनुबंध का विस्तार	अनुबंध को बैंक द्वारा अपने विवेक पर एक वर्ष की और अवधि के लिए मूल अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना या पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

2. मैं/हम कार्य के दायरे/प्रकृति और निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करने का वचन देते हैं। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों की पुष्टि कर रही है।

3. मैं/हम निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित निर्धारित प्रोफार्मा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन संलग्न कर रहे हैं।

4. मैंने/हमने भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पास बयाना राशि जमा के रूप में 81,400/- रुपये (इक्यासी हजार चार सौ रुपये मात्र) जमा की है, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं है। यदि मैं/हम अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की स्थिति में जो ईएमडी की जब्ती का कारण बनती है और मैं/हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं/हम किसी भी भविष्य की निविदा में भाग लेने या बैंक में किसी भी कार्य को करने से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए तीन साल तक बढ़ाने से वंचित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

5. क्या इस निविदा को स्वीकार किया जाना चाहिए, मैं/हम या मेरे उत्तराधिकारी, या समनुदेशिती या नामांकित व्यक्ति इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

6. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग-। के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और मैं/हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।

7. मैं/हम समझते हैं कि आप किसी भी या सभी निविदा को इसके लिए कोई कारण बताए बिना पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं,

8. निविदा ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत की जाती है, अर्थात् भाग - I और भाग - II। भाग - I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग-II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

दिनांकित -----

के लिए और उनकी ओर से मैसर्स

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

पदनाम	स्थान	दिनांक
(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणित मुख्तारनामा की सत्य प्रति संलग्न करें)।		

साक्षी:

1. नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**खंड - II**  
**कार्य का दायरा और वाणिज्यिक स्थितियां**

निविदाकर्ता पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा, जैसा कि मांग में निर्दिष्ट किया गया है।

- i. भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के परिसर में या बैंक द्वारा बताए गए किसी भी परिसर में बैग में पैक किए गए सिक्कों की लोडिंग, अनलोडिंग, वजन करने, ढुलाई, स्टैकिंग और अन्य विविध कार्यों के लिए और
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के परिसर, रेलवे स्टेशनों/हवाई अड्डों या बैंक द्वारा बताए गए किसी भी परिसर में नोटों के भरे बक्सों की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग।

**अर्हता:**

निविदाकर्ताओं को एक प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस धारक श्रम ठेकेदार होना चाहिए:

- i. बोलीदाता के पास केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों को समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/अनुबंध के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य) का कम से कम तीन साल का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने में समाप्त होने वाला) होना चाहिए। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी।
- ii. बोली लगाने वाले ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, इसी तरह की सेवाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हों:
  - a. तीन इसी तरह की पूरी की गई सेवाएँ, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) से कम न हो; या
  - b. दो इसी तरह की पूरी की गई सेवाएँ, जिनमें से हर एक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) से कम न हो; या
  - c. एक इसी तरह की पूरी की गई सेवा, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से कम न हो।

**नोट:**

"समान सेवाएँ" का अर्थ उन सेवाओं से होगा जो निविदाकर्ता द्वारा नोट बॉक्स/सिक्कों की थैलियों को संभालने के लिए मजदूरों की आपूर्ति हेतु केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों या प्रतिष्ठित संगठनों को प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का निर्णय कि क्या किसी निविदाकर्ता का पिछला कार्य अनुभव, निविदा दस्तावेज़ में दिए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार 'समान प्रकृति' के कार्य के रूप में मान्य है या नहीं, अंतिम होगा और सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

- iii. , पिछले तीन वर्षों के दौरान, जो पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होते हैं, अनुमानित लागत का कम से कम 30% न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए; जिसकी पुष्टि विधिवत

ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों द्वारा की गई हो।

- iv. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य। निविदाकार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- v. ठेकेदार के पास सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस होना चाहिए जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रदान किया गया है।
- vi. निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी।
- vii. अनुबंध के सफल अवार्ड के मामले में, निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होगा।
- viii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता बनाए रखेगा। बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ix. स्वामित्व के मामले में, असाइनमेंट का विधिवत निष्पादित विलेख स्पष्ट रूप से उस प्रतिनिधि की पहचान करता है जो मालिक की मृत्यु के मामले में संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, भी प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, ऐसी स्थिति में विशुद्ध रूप से स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में, शेष अवधि के लिए या नए समझौते को निष्पादित किए जाने तक अनुबंध को जारी रखने के लिए बैंक का विशेषाधिकार/अधिकार होगा।

नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

भाग-II - मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II - मूल्य बोली खोलने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

### **प्रारंभ/नवीनीकरण:**

1. बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज़ में शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। स्टॉप पेपर की लागत सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
2. अनुबंध एक बार में 21 महीने के लिए वैध होगा (यानी 01 जुलाई 2026 - 31 मार्च 2028) जिसे बैंक

द्वारा अपनी राय से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है। इसके बाद उक्त सेवा के लिए नई निविदा के लिए नई बोली लगाई जा सकती है।

3. जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो अनुबंध के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से तीन महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।
4. अनुबंध के नवीनीकरण के लिए ठेकेदार द्वारा मांगे गए शुल्कों में वृद्धि के मामले में, बैंक मांगी गई वृद्धि की तर्कसंगतता की जांच कर सकता है और अपनी राय में, अनुरोधित वृद्धि के संबंध में ठेकेदार के साथ बातचीत कर सकता है।

### **बयाना जमाराशि:**

1. इच्छुक निविदाकर्ता ₹81,400/- (रुपये इक्यासी हज़ार चार सौ मात्र) की बयाना राशि एन ई एफ टी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के खाता संख्या 186003001 (आई एफ सी कोड- RBISOLKPA01) में 04 जून, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा करेंगे। यदि निविदा जमा करने के बाद, निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव पर आपत्ति करता है, उससे पीछे हटता है, या उससे विचलित होता है, अथवा उसकी शर्तों और नियमों में ऐसा कोई संशोधन करता है जो बैंक को स्वीकार्य नहीं है, तो बयाना राशि बिना कोई कारण बताए ज़ब्त कर ली जाएगी।
2. आवश्यक ईएमडी जमा किए बिना प्राप्त ई-निविदा उद्धरण अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
3. सफल बोलीदाता की बयाना जमा राशि, कार्य सौंपे जाने के 10 दिनों के भीतर, निविदा दस्तावेज़ में और निविदा दस्तावेज़ के अंत में दिए गए 'निष्पादन बैंक गारंटी फ़ॉर्मेट' में बताई गई शर्तों के अनुसार, प्रतिभूति जमा के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में ₹203500 (रुपये दो लाख तीन हज़ार पाँच सौ मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने पर समाप्त मानी जाएगी।
4. यदि बैंक द्वारा ई-टेंडर का आमंत्रण वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है (जिसका अधिकार बैंक के पास किसी भी समय रहेगा), तो निविदा जमा करने की प्रक्रिया में या उसकी तैयारी में किए गए खर्च के लिए, अथवा एम.एस.टी.सी लि. के पास पंजीकरण करवाने हेतु उनके द्वारा भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क या अन्य शुल्कों/फीस के लिए, निविदा जमा करने वालों को कोई भी मुआवज़ा/प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
5. यदि सफल निविदाकर्ता इस निविदा दस्तावेज़ के तहत निर्धारित प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बैंक द्वारा किसी भी और नुकसान या क्षति के लिए निविदाकर्ता के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक द्वारा ईएमडी को ज़ब्त कर लिया जाएगा।

## निष्पादन बैंक गारंटी:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अवार्ड की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में ₹203,500 (रुपये दो लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र) की एक निष्पादन बैंक गारंटी जमा की जाएगी।
2. निष्पादन बैंक गारंटी, ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए, अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान वैध रहेगा। निष्पादन बैंक गारंटी जमा करना, जैसा कि निविदा में निर्धारित है, सुनिश्चित किया जाएगा। यदि अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार तदनुसार एक विस्तारित निष्पादन बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
3. अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में विलंब के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से वसूल किया जाएगा।
4. पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. संभाले गए नोट बॉक्स/सिक्का बैग की संख्या में वृद्धि के कारण अनुबंध के मूल्य में वृद्धि होने पर, बैंक गारंटी की राशि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदान करेगा।

## ठेकेदार के कर्तव्य:

वैधता अवधि पूरी होने तक अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को वितरित करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी लागू किया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

1. ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ या उसके किसी भी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने के बारह घंटे के भीतर, सिक्का बैग और नोट बक्से को संभालने के लिए और निर्गम विभाग में काम की विविध आकस्मिक वस्तुओं के लिए भी आवश्यक होने वाले कई सक्षम मज़दूर/मजदूरों की आपूर्ति करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जाए।
2. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित सामान्य व्यावसायिक घंटों या सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/दिनों या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून/प्रावधान से अधिक काम करने की आवश्यकता हो।
3. तत्काल अवसरों/मामलों पर, महाप्रबंधक/उप-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक,

लखनऊ द्वारा प्रमाणित, ठेकेदार तीन घंटे की अल्प सूचना पर पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने के अनुरोध का अनुपालन करेगा। किसी भी अवसर/मामले के तत्काल होने के संबंध में निर्णय बैंक के पास होगा और यह इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा कि बैंक ने इस तरह के नोटिस को सूचित किया है और इसे तत्काल के रूप में पहचाना है। ठेकेदार इसका अनुपालन करेगा और तदनुसार कार्य करेगा। सिक्कों के थैलों और नोट बक्से की लोडिंग और अनलोडिंग एक बंद क्षेत्र यानी सुरक्षा-यार्ड में की जाएगी।

4. ठेकेदार अनुबंध को आगे नहीं सौंपेगा या किराए पर नहीं देगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी को जब्त कर सकता है।
5. ठेकेदार बैंक को किसी भी क्षति या हानि की प्रतिपूर्ति करेगा जो कि मजदूरों की अक्षमता/गतिविधि या ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त मजदूरों की तैनाती के कारण या किसी भी अक्षमता, लापरवाही या दोष या तौलने, लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण, कार्टिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ले जाने और वितरित करने में देरी के कारण या उसकी ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के कारण हुआ है या ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूर या अन्य कर्मियों की ओर से।
6. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी ऐसे मजदूर/कामगार की सेवाएं न लेने का निदेश दे जो उपर्युक्त कार्यों को करने में अक्षम और/या लापरवाह हो। बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी भी ऐसे श्रमिकों/मजदूरों की सेवाओं को बंद करने का निर्देश दे जो बैंक में उपरोक्त कार्यों को करते समय या अन्यथा किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी वाली गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने पर, ठेकेदार बैंक में उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसे श्रमिकों/मजदूरों की सेवाओं को तुरंत बंद कर देगा। यदि ठेकेदार बैंक के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक इस तरह के गैर-अनुपालन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन ₹500/- (रुपये पांच सौ मात्र) का जुर्माना लगा सकता है निरंतर गैर-अनुपालन या बार-बार पुनरावृत्ति के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।
7. ठेकेदार अनुबंध के संबंध में उसके द्वारा लगाए गए मजदूरों द्वारा झेली जाने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त देयता बीमा कवर लेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते की अवधि के दौरान बीमा कवर हमेशा जीवित रखा जाए। महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को इस प्रकार खरीदी गई बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने और ठेकेदार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उसका सत्यापन, जांच या जांच करने के लिए बुलाए। यदि महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ यह निर्धारित करता है कि बीमा कवर पर्याप्त (राशि) नहीं है या उन सभी जोखिमों को कवर नहीं करता है जिनके लिए कर्मचारियों/मजदूरों को संविदा कर्मचारियों के काम में शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए उजागर किया जाता है, तो ठेकेदार अतिरिक्त राशि के साथ-साथ मौजूदा बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं किए गए जोखिमों के लिए बीमा कवर खरीदेगा ताकि अपर्याप्तता को पूरा किया जा सके

महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, आरबीआई, लखनऊ द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जिसमें विफल रहने पर बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए खर्चों की वसूली ठेकेदार से करेगा।

8. ठेकेदार एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें मजदूर वर्ग, पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम शामिल होंगे जो अनुबंध देने के संबंध में बैंक से पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद इस समझौते के कार्य को पूरा करने से जुड़े होंगे। ठेकेदार को उपरोक्त उल्लिखित मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के फोटोग्राफ, आवासीय पते, स्थायी पते और चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार को अनुबंध शुरू होने से पहले पुलिस विभाग द्वारा सभी मजदूरों, सहायकों, पर्यवेक्षकों या अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवाया जाएगा।
9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य/गतिविधियां उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कर्मकार की तरह की जाती हैं। नोटबॉक्स और सिक्का बैग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना संपूर्ण कार्य/गतिविधियां की जानी चाहिए।
10. इस समझौते के तहत कार्य के निर्वहन के लिए नियोजित ठेका श्रमिकों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेका श्रमिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति को चिह्नित करने के लिए रिकॉर्ड/मस्टर का रखरखाव ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी और ऐसा रिकॉर्ड/मस्टर हमेशा ठेकेदार के नियंत्रण में होगा।
11. ठेकेदार इस अनुबंध के दौरान हर समय ठेका श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखेगा और छुट्टी या अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करेगा। ठेकेदार उन सभी मजदूरों और अन्य कर्मियों को फोटो पहचान पत्र भी जारी करेगा जो इस समझौते के विषय के कार्य के निर्वहन से जुड़े हो सकते हैं।
12. ठेकेदार बैंक की आईएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।
13. उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा इस तरह के प्रतिवाद की सूचना देने पर उप प्रभारी प्रभारी/महाप्रबंधक द्वारा श्रमिकों की आपूर्ति के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले लिखित या मौखिक रूप से या टेलीफोन द्वारा दिए जाने पर प्रतिवाद किया जा सकता है और ठेकेदार उसके संबंध में पारिश्रमिक और मुआवजे के भुगतान के हकदार होंगे। इसके अलावा, जब विनिदष्ट गाड़ी के आगमन के निर्धारित समय के बाद विप्रेषण प्राप्त होता है क्योंकि उनके विलंब से चलने के कारण विप्रेषण प्राप्त होता है, तो ठेकेदार खाते पर किसी भी प्रभार का हकदार नहीं होगा।

भुगतान और कर:

- i. भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।
- ii. ठेकेदार को दी गई सेवाओं के लिए, इस करार की अनुसूची में बताई गई दरों पर भुगतान किया

जाएगा। बताई गई दरें तय हैं और पूरे अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी आधार पर इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता; साथ ही, ठेकेदार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा। बताई गई कीमतों में सभी कर (लेकिन GST शामिल नहीं), शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर या केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा दरों पर लगाए गए कोई भी अन्य लागू कर शामिल होंगे। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बाद में इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

- iii. बैंक भुगतान के बाद लेखा परीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली को वसूलने/लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- iv. अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को ठेकेदार को देय या देय होने वाली देय राशि से काट ली जाएगी। अंतिम उपाय के रूप में पीबीजी को लागू किया जा सकता है।
- v. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- vi. ठेकेदार को किए जाने वाले सभी भुगतान इस संबंध में प्रासंगिक कानूनों/नियमों के तहत निर्दिष्ट दर पर स्रोत पर कर कटौती के अधीन होंगे।
- vii. भुगतान के उद्देश्य के लिए, सभी प्रकार से पूरे किए गए कार्य को बैंक के अधिकारियों की क्षमता में काम करने वाले स्टेशन ड्यूटी अधिकारी/तिजोरी के संयुक्त संरक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
- viii. अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट कार्य के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य करने वाले ठेकेदार के मामले में, उक्त अतिरिक्त कार्य शुरू होने से पहले लिखित रूप में पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत दरों के अनुसार बिलों का निपटान किया जाएगा।

### **अयोग्यता/समाप्ति/जुर्माना:**

- i. यदि कोई निविदाकर्ता, स्वयं या अपनी ओर से किसी भी प्रकार की पैरवी करने का प्रयास करता है, अथवा निविदाओं की जाँच, तुलना, मूल्यांकन और अनुबंधों को देने के संबंध में बैंक के निर्णय पर राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने की कोशिश करता है, तो इसे एक गंभीर कदाचार माना जाएगा। ऐसे मामले में, निविदाकर्ता की निविदा रद्द किए जाने के साथ-साथ, उसे कम से कम एक वर्ष (जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष तक किया जा सकता है) की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामले पकड़ में नहीं आते

हैं, लेकिन बाद में उनका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

- ii. इस अनुबंध को दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी कारण से समाप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे दूसरे पक्ष को ऐसी समाप्ति की तीन महीने की लिखित सूचना देनी होगी। ठेकेदार, सूचना अवधि के दौरान बैंक द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को पूरी लगन, तत्परता और कुशलता के साथ पूरा करेगा।
- iii. यदि ठेकेदार द्वारा मज़दूरों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का पालन करने में कोई देरी होती है, या अनुबंध के निर्देशों का कोई उल्लंघन होता है—जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के निर्गम विभाग के महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक द्वारा इतना गंभीर माना जाता है कि उस पर जुर्माना लगाया जा सके—तो उक्त महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से, ठेकेदार पर ₹5,000 (रुपये पाँच हज़ार मात्र) से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं।
- iv. उन सभी मामलों में जहां ठेकेदार पर कुल अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत का संचयी जुर्माना लगाया गया है, दो साल की प्रारंभिक अवधि से आगे के विस्तार पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- v. अनुबंध की निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदार के निष्पादन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
- vi. यदि ठेकेदार लगातार तीन से अधिक अवसरों के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को कोई नोटिस दिए बिना/बिना किसी कारण के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मामले में ठेकेदार के पास मुआवजे का दावा करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

### **क़ानून का अनुपालन:**

ठेकेदार देश और उत्तर प्रदेश राज्य में लागू सभी संबंधित कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण होने वाले सभी प्रकार के कानूनी परिणामों से बैंक को क्षतिपूर्ति देगा, जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i) बोली लगाने वाले को श्रम, कराधान, कामगारों की सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। बोली लगाने वाला उचित अधिकारियों के पास पंजीकृत होना चाहिए, यानी जीएसटीअधिकारियों/आयकर/पैन/ई.पी.एफ.आई/ई.एस.आई. अधिकारियों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए;

ii) बैंक और अनुबंध के उद्देश्य से तैनात व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। ठेकेदार अपने तैनात कामगारों/श्रमिकों को सभी लागू वैधानिक भुगतान करेगा, जैसे न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य

निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 या इस उद्देश्य के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान; ये भुगतान केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार (जो भी अधिक हो) किए जाएंगे, साथ ही अन्य सभी वैधानिक भुगतान भी किए जाएंगे।

iii) कामगारों/श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों/श्रमिकों को ई पी एफ अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/या लाभांश, और ई.एस.आई. अधिनियम के अनुसार ई.एस.आई. (जैसा लागू हो) दिया जाना चाहिए। ई.एस.आई. की अनुपस्थिति में, ठेकेदार को बीमा कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए, जैसे कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत कामगार क्षतिपूर्ति बीमा। कुल प्रीमियम का खर्च ठेकेदार वहन करेगा। ठेकेदार के पास अपने कामगारों/श्रमिकों के लिए पी.एफ. योगदान करने हेतु एक वैध पी.एफ. खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान का पालन न करने के संबंध में कोई शिकायत होने पर, बैंक के अनुबंध रद्द करने के अधिकार पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, वह राशि बिल से काट ली जाएगी। ठेकेदार प्रचलित कानूनों के अनुसार सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को अद्यतन (updated) रखेगा और जब भी प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों द्वारा मांगा जाएगा, उन्हें प्रस्तुत करेगा।

iv) ठेकेदार बाल श्रम की आपूर्ति नहीं करेगा, जो बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंधित है।

v) मजदूरी की अवधि ठेकेदार द्वारा तय की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार बैंक के काम के लिए नियुक्त अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षरों के साथ वेतन वितरण विवरण बैंक द्वारा सत्यापन के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में और उसके/उसकी हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में राशि जमा की जा सकती है और भुगतान दर्शाने वाले बैंक विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

vi) प्रधान नियोक्ता, यानी बैंक, ठेकेदार द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों को कोई भी रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक को, किसी भी लागू कानून के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में ठेकेदार की ओर से किसी चूक या विफलता के कारण, ठेकेदार के कर्मचारियों को कोई राशि भुगतान करने की आवश्यकता होती है/कहा जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से, ठेकेदार पर बैंक के बकाया ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

vii) ठेकेदार, अनुबंध के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात किसी भी मजदूर या अन्य व्यक्तियों द्वारा 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर के भीतर उसके कर्मचारियों/मजदूरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' के समक्ष दर्ज की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

viii) ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की ओर से बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत, बैंक द्वारा गठित 'क्षेत्रीय शिकायत समिति' द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।

ix) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी आवश्यकता उस स्थिति में पड़ सकती है जब घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों; उदाहरण के लिए, बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा किया जाना सिद्ध हो जाता है।

x) ऐसे मामलों में जहाँ काम पर लगाए गए मजदूरों की संख्या 20 से कम है, ठेकेदार को हर तीन महीने पर एक

सर्टिफिकेट जमा करना होगा जिसमें यह लिखा हो:

“उन्होंने किसी भी दिन 19 से ज़्यादा मज़दूर काम पर नहीं लगाए हैं और किसी भी मज़दूर के लगातार काम करने की अवधि एक साल में 240 दिनों से ज़्यादा नहीं हुई है।”

- xi) ठेकेदार बैंक की संपत्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए, या किसी तीसरे पक्ष/अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी दावे के लिए बैंक को हर्जाना देगा और बैंक को सुरक्षित रखेगा।

### **गैर-प्रकटीकरण खंड:**

ठेकेदार इस करार के संबंध में अपने कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इंफ़ॉर्मेशन/डेटा/डेटाबेस की कोई भी जानकारी, सामग्री और डिटेल्स, जो ठेकेदार के पास आती हैं या उसे पता चलती हैं, किसी भी तीसरे पक्ष को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा और हर समय उन्हें पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसे पूरा करने के लिए या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार बैंक की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को मुआवज़ा देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियाँ किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या खत्म होने के बाद भी बनी रहेंगी।

### **कामगार सुरक्षा और बीमा:**

- i) ठेकेदार अकेले ही संचालन और रख-रखाव के कामों पर कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, सिक्योरिटी और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।
- ii) ठेकेदार अपने खर्च पर, लेकिन बैंक द्वारा मंजूर शर्तों और नियमों के अनुसार, उन जोखिमों और कवरेज के लिए बीमा करवाएगा और उसे बनाए रखेगा, जैसा कि अनुबंध में बताया जाएगा। वेंडर द्वारा प्रस्तुत की गई बीमा पॉलिसी में भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम और उस काम का नाम दिखना चाहिए जिसके लिए बीमा करवाया गया है।
- iii) ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- iv) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति को हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- v) उद्धृत दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी। राज्य सरकार - जहां सेवा की जाती है और इसमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।
- vi) ठेकेदार अनुबंध के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मियों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकाया के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक कर्मियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। ठेकेदार अपने द्वारा तैनात सभी जनशक्ति के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्त जनशक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

### विवाद समाधान तंत्र और मध्यस्थता:

- i) यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच अनुबंध या काम को पूरा करने के संबंध में या उससे जुड़ा कोई विवाद होता है, तो दोनों पक्षों को अच्छे विश्वास के साथ, आपसी बातचीत से 30 दिनों के अंदर उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यह अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/दोस्ताना बातचीत में शामिल होने का नोटिस देगा।
- ii) यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंतिम रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और मध्यस्थता केवल लखनऊ में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और करार पर लागू होगा।
- iii) क्षेत्राधिकार और शासी कानून: यह करार लखनऊ की अदालतों के अधिकार क्षेत्र और भारत में लागू कानूनों के अधीन होगा।

### अपेक्षित दस्तावेज़:

सभी बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल करने के लिए कहा जाना चाहिए:

मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेजों की प्रतियाँ, जिनमें संस्था की संरचना अथवा विधिक स्थिति, पंजीकरण का स्थान और व्यवसाय का मुख्य स्थान बताया गया हो; बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का लिखित मुख्तारनामा, जिसके द्वारा वह बोली लगाने वाले की ओर से प्रतिबद्धता व्यक्त कर सके। उपयुक्त व्यावसायिक लाइसेंस/पंजीकरण:

ए. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

बी. पैन

सी. ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियाँ

डी. निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 या राज्य द्वारा प्रख्यापित इसी तरह के अधिनियम/नियमों के तहत वैध लाइसेंस की प्रति जिसमें सेवा की जाती है (सुरक्षा सेवा के मामले में)

- (i) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए निष्पादित सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।
- (ii) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव की प्रतियाँ, और चल रही या संविदात्मक रूप से प्रतिबद्ध सेवाओं का विवरण; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। ऐसे ग्राहकों का विवरण बोलीदाता द्वारा **अनुलग्नक II** में दिए गए प्रारूप में भरना आवश्यक है। ग्राहकों से कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
- (iii) इस अनुबंध के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण की लाइन तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)।
- (iv) पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि (पी/एल) विवरणों की प्रतियाँ)।

- (v) बैंक खाते का विवरण।
- (vi) बोली लगाने वाले के बैंकरो से संदर्भ प्राप्त करने का अधिकार है। बोली लगाने वाले द्वारा **अनुलग्नक - III** में दिए गए प्रारूप को विधिवत भरा जाना आवश्यक है।
- (vii) किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्षों, और विवादित राशि के बारे में जानकारी और
- (viii) सेवाओं के उप-ठेके घटकों (यदि कोई हो) के लिए प्रस्ताव अनुबंध मूल्य का 10 (दस) प्रतिशत से अधिक हो।
- (ix) सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस की प्रति जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रदान किया गया
- (x) **अनुलग्नक - IV** में दिया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, नवीनतम ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।
- (xi) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
- (xii) निरस्त चेक की प्रति।
- (xiii) इस निविदा दस्तावेज का विधिवत पूरा और हस्ताक्षरित प्रस्ताव पत्र (खंड - I)।
- (xiv) इस निविदा दस्तावेज का हस्ताक्षरित कार्य-क्षेत्र और वाणिज्यिक शर्तें (खंड - II)।
- (xv) इस निविदा दस्तावेज का विधिवत भरा और हस्ताक्षरित तकनीकी बोली प्रपत्र (खंड - III)।
- (xvi) एक वचन-पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का जान-बूझकर चूक करने वाला (wilful defaulter) नहीं है, और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
- (xvii) स्वामित्व के मामले में, असाइनमेंट का विधिवत निष्पादित विलेख स्पष्ट रूप से उस प्रतिनिधि की पहचान करता है जो मालिक की मृत्यु के मामले में संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, भी प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, ऐसी स्थिति में विशुद्ध रूप से स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में, शेष अवधि के लिए या एक नया समझौता निष्पादित होने तक अनुबंध को जारी रखने के लिए बैंक का विशेषाधिकार/अधिकार होगा।
- (xviii) एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण के मामले में एमएसएमई प्रमाण पत्र।
- (xix) भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में **अनुलग्नक V** में दिया गया वचन/घोषणा/प्रमाण पत्र का विधिवत भरा हुआ प्रपत्र।
- (xx) बोली लगाने वाले द्वारा यह घोषणा कि क्या उसका कोई रिश्तेदार बैंक में कार्यरत है अथवा नहीं। घोषणा पत्र का प्रारूप (**अनुलग्नक - VI** में दिया गया) बोली लगाने वाले द्वारा विधिवत भरा जाना आवश्यक है।
- (xxi) बयाना जमा राशि भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण।
- (xxii) भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय में ठेकेदार द्वारा तैनात किए जाने वाले

श्रमिकों/मजदूरों के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, ठेके में विनिदष्ट कार्य की मदों की देखभाल करने के लिए।

- (xxiii) कोई अन्य दस्तावेज/सूचना जो दस्तावेजों की सूची का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसकी आवश्यकता निविदा दस्तावेज में उल्लिखित है, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

उपरोक्त दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उपर्युक्त में से किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर भाग-1 में अयोग्य माना जाएगा।

### जांच/मूल्यांकन:

दो भागों यानी "तकनीकी बोली" पर भाग I और "मूल्य बोली" पर भाग II वाली निविदाएं ऑनलाइन बोली पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।

- (i) निविदाएं, जिसमें दो भाग शामिल हैं, निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। भाग I जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य के दायरे और वाणिज्यिक शर्तों को शामिल किया गया है:

ए. NEFT के माध्यम से ₹81,400/- (केवल इक्यासी हजार चार सौ रुपये) की बयाना जमा राशि। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

बी. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर, कंपनी/फर्म की मुहर सहित मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र।

सी. निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य एवं दस्तावेज।

डी. यह वचन जिसमें कहा गया हो कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

ई. मास्कड इंडिकेटिव प्राइस बिड जिसमें प्राइस ब्रेकअप शेड्यूल के अनुसार सभी कंपोनेंट लिस्ट किए गए हैं, लेकिन कोई कीमत नहीं बताई गई है।

एफ़. कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो।

- (ii) भाग II में प्रस्तुत की जाने वाली निविदा की मूल्य बोली शामिल है, जिसमें केवल भारतीय रुपये में कीमतें शामिल हैं, जिसमें भाग II - मूल्य बोली में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में आंकड़ों और शब्दों दोनों में मूल्य का विस्तृत विवरण शामिल है। भाग II में किसी अन्य अनुलग्नक की अनुमति नहीं है। निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों और विचलन, यदि कोई हो, में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।
- (iii) निविदाओं का भाग - I निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित होना चुनते हैं।
- (iv) निविदाओं की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं, जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा और उनकी उपेक्षा की जाएगी।
- (v) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोलियां जमा करने से पहले कार्य/कार्य/गतिविधियों, जैसे रेलवे स्टेशन और बैंक परिसर का दौरा करें और साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें।
- (vi) केवल उन निविदाकर्ताओं में से केवल उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-1 की संवीक्षा के बाद पात्र पाए जाते हैं, को बाद के कार्य दिवस अथवा बैंक द्वारा सूचित

किसी भावी तिथि को खोला जाएगा।

- (vii) बैंक उस निविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान करेगा जिसकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति काफी हद तक उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई है और जिसने एल 1 पर पहुंचने के लिए अनुबंध के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित बोली मूल्य की पेशकश की है।
- (viii) उद्धृत दरों में से सबसे कम को एल-1 माना जाएगा और उन्हें काम दिया जाएगा। हालांकि, कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक सबसे कम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिए स्वतंत्र होगा और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (ix) दो या दो से अधिक निविदाकारों के सबसे कम होने के मामले में, अर्थात्, समान राशि का उल्लेख करते हुए, पहले से ही उद्धृत राशि पर छूट ऐसी निविदाओं से सीलबंद लिफाफे में प्राप्त की जाएगी और उद्धृत दरों में से सबसे कम को एल-1 माना जाएगा।
- (x) इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि सभी फर्मों को एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व निर्धारित ई-टेंडरिंग को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों से अवगत होने की आवश्यकता है। ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता निविदा को अमान्य और शून्य बना सकती है।
- (xi) निविदाकर्ता को निविदा/कार्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए कार्य की सभी वस्तुओं के लिए दरों का उल्लेख करना होगा और सिस्टम में कार्य का कोई भी भाग खाली नहीं छोड़ा जाएगा।

### **निविदा जारी करना और जमा करना:**

- (i) पंजीकरण और लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट से ई-निविदा दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है।
- (ii) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर प्रदान किए गए निर्धारित स्थान में सभी आवश्यक कॉलम भरें। सभी निविदाकार ई-निविदा के लिए एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और शर्तों का पालन करेंगे। मूल से कोई भी परिवर्तन/संशोधन विशुद्ध रूप से ई-निविदा विधियों के नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। किसी भी पैरामीटर का अनुपालन न करने या किसी भी डेटा/सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप उस प्रणाली द्वारा निविदा/बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और इस आशय के किसी भी पत्राचार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) सिस्टम में प्रत्येक प्रविष्टि को एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा निर्धारित सही, पेशेवर और उपयुक्त तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है।
- (iv) ई-मोड/ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से बोली जमा करने से संबंधित सभी नियम और शर्तें निर्धारित समय-अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए और ई-पोर्टल प्रणाली में सभी प्रविष्टियां फर्म/ठेकेदार के नामित/अधिकृत कर्मियों द्वारा की जानी चाहिए।
- (v) बोलियां एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। फर्मों/ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी/दस्तावेजों के अनुसार और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप कार्रवाई शुरू करें। भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - मूल्य बोली की ई-निविदा में भाग लेने

के लिए सभी आवश्यक कॉलम भरे जाने चाहिए।

- (vi) कृपया ध्यान दें कि केवल ऐसे बोलीदाताओं का भाग II (मूल्य बोली) जो भाग I बोलियों की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, बाद के कार्य दिवसों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा, जिसे सभी पात्र बोलीदाताओं को ई-मेल/संचार के अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा। बोलियों/मूल्य की अस्वीकृति की किसी भी संभावना से बचने के लिए, सभी ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-टेंडरिंग प्रणाली से संबंधित सभी नियमों और शर्तों, विनियमों, निर्देशों, आदेशों से परिचित रहें। आरबीआई, लखनऊ ठेकेदारों की ओर से ऐसी किसी भी गलतफहमी या गलत व्याख्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके कारण सभी और/या किसी भी/आंशिक बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vii) पोर्टल में सभी सम्मिलन, पोस्टस्क्रिप्ट, परिवर्धन, ओवर राइटिंग और परिवर्तन, यदि कोई हो, एमएसटीसी लिमिटेड के नियमों और विनियमों के तहत पूर्ण अनुपालन में किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता या एमएसटीसी लिमिटेड के किसी भी नियम/विनियमों का उल्लंघन करने पर निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जा सकता है जिसके लिए कोई अनुरोध/दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (viii) एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की गई निविदाएं सभी आवश्यक संलग्नक/दस्तावेजों/स्व-प्रमाणीकरण/बाड़ों/अनुलग्नकों के साथ सभी तरह से पूरी होनी चाहिए।
- (ix) उक्त निविदाओं के लिए सभी बोलियां केवल एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से जमा की जानी चाहिए, जो 04 जून, 2026 को दोपहर 2.00 बजे आईएसटी के बाद नहीं होनी चाहिए।
- (x) चूंकि यह एक ई-टेंडरिंग प्रक्रिया है, इसलिए डाक के माध्यम से भौतिक रूप में भेजी गई या किसी भी कोटेशन बॉक्स में जमा की गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसी तरह, फैक्स और ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। समय-सीमा समाप्त होने के बाद ऑनलाइन प्राप्त किसी भी बोली पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

### निविदाओं को खोलना:

- (i) ई-निविदाओं का भाग I एमएसटीसी लिमिटेड की मदद से भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा 04 जून, 2026 को दोपहर 3.30 बजे या उसके बाद ऑनलाइन खोला जाएगा।
- (ii) निविदाओं की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं। जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जा सकता है और उनकी उपेक्षा की जा सकती है।
- (iii) केवल ऐसे निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, को खोलने के लिए कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सभी पात्र निविदाकर्ताओं को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से तारीख और समय की सूचना दी जाएगी।

### निविदा की वैधता:

ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से उद्धृत कीमतों के साथ निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी और निविदाकार इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेंगे। निविदाकर्ताओं और बैंक के बीच लिखित रूप में आपसी करार द्वारा वैधता अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। नब्बे दिनों की प्रारंभिक वैधता अवधि या पारस्परिक रूप से सहमत विस्तारित अवधि के दौरान इस तरह की निकासी/रद्दीकरण से बैंक द्वारा ईएमडी जब्त हो जाएगा। बैंक

किसी भी तरह से इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

### सबसे कम निविदा जरूरी नहीं कि स्वीकार की जाए:

- (i) कार्य की विशेष और संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत सबसे कम बोली को स्वीकार नहीं करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए।
- (ii) निविदाकर्ता, जिसकी निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के सिस्टम/सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन स्वीकार नहीं की जाती है, वह ऑनलाइन निविदाएं जमा करने के लिए या उसके संबंध में किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और उसके द्वारा किए गए किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित करने/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

### हितों का टकराव:

निविदाकर्ता के हितों का टकराव नहीं होगा। नीचे उल्लिखित हितों के टकराव वाले सभी निविदाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- (i) दो अलग-अलग अनुप्रयोगों में निविदाकारों में शेयरधारकों को नियंत्रित करने वाले समान होते हैं।
- (ii) निविदाकर्ताओं (उनके कर्मियों सहित) जिनके आरबीआई कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों के साथ व्यावसायिक और पारिवारिक संबंध हैं, जो निविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन्हें अनुबंध नहीं दिया जाएगा।

### भ्रष्ट या कपटपूर्ण प्रथाएँ:

भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकता है कि इस अनुबंध के तहत आवेदक विशेष रूप से अनुबंध करेसी के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, आरबीआई:

- (i) इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई शर्तों को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

ए) 'भ्रष्ट आचरण' का अर्थ है जनता के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्यवान चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना; तथा

बी) 'धोखाधड़ी वाली प्रथाओं' का अर्थ है किसी अनुबंध को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना, जिससे नियोक्ता को नुकसान हो, और इसमें आवेदकों/बोली लगाने वालों के बीच मिलीभगत वाली प्रथाएं शामिल हैं (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) जिनका मकसद बोली की कीमत को नकली गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर तय करना और नियोक्ता को स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित करना है।

सी) 'मिलीभगत प्रथा' का अर्थ है दो या दो से अधिक बोलीदाताओं के बीच एक योजना या व्यवस्था, जिसे कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर बोली की कीमतें स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है; तथा

डी) 'जबरदस्ती तरीका' का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, ताकि खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित किया जा सके या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित किया जा सके।

- (ii) अगर यह पता चलता है कि जिस आवेदक को काम देने के लिए अनुशंसित किया गया है, उसने संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की है, तो काम देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा।
- (iii) अगर किसी भी समय यह पता चलता है कि बोली लगाने वाले ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे पूरा करने में भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी वाले काम किए हैं, तो उसे हमेशा के लिए या तय समय के लिए निविदा देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

### जोखिम और लागत:

ठेकेदार द्वारा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में या अनुबंध शीघ्र समाप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार किसी भी अन्य उपाय के अलावा, जो बैंक के पास अनुबंध के तहत हो सकते हैं, जोखिम और लागत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। जोखिम और लागत की राशि को ठेकेदार को देय किसी भी राशि से एडजस्ट/काटा जाएगा, जिसमें निष्पादन बैंक गारंटी का इस्तेमाल भी शामिल है। ठेकेदार को इस तरह की कटौती पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

### अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

#### ए. सामान्य शर्तें:

- (i) बैंक इस निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ii) उद्धृत की गई दरों के अंकों और शब्दों में कोई अंतर होने पर, निविदा का मूल्यांकन करने के लिए शब्दों में लिखी दर को माना जाएगा।
- (iii) निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी/कोई भी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा की अस्वीकृति हो सकती है।

#### बी. निविदाओं की अयोग्यता/अस्वीकृति की ओर ले जाने वाली स्थितियां

- (i) निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कोई भी कैनवस करना या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या कोई दूसरा बाहरी प्रभाव डालना, उन्हें अयोग्य घोषित कर देगा और उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे निविदाकर्ताओं को कम से कम एक साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामले पता नहीं चलते हैं, लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता पिछले समय से लागू होगी।
- (ii) निविदाएं सभी अटैचमेंट/एनक्लोजर /अनुलग्नक/सहायक दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना बैंक द्वारा सही ढंग से और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- (iii) एमएसटीसी वेबसाइट के अलावा किसी भी माध्यम से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा/स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) निर्धारित ईएमडी/प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त बोली प्रस्तावों को प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया जाएगा।
- (v) निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

- (vi) सशर्त बोली को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी अतिरिक्त खंड अस्वीकार किया जा सकता है।
- (vii) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- (viii) इसके अलावा, यदि बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक रिपोर्टों या ग्राहक रिपोर्टों या अन्यथा के आधार पर असंतोषजनक पाई जाती है, तो यह उनकी बोली की अयोग्यता/अस्वीकृति का आधार बनेगा। ठेकेदार के विरुद्ध न तो कोई मामला/आरोप/जांच/विचारण के अधीन होना चाहिए और न ही उसे किसी न्यायालय में दोषी ठहराया गया हो या और ना ही किसी भी आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के किसी संगठन/अन्य कार्यालयों द्वारा निलंबित/काली सूची में डाला गया हो।

### सी. अप्रत्याशित घटना:

इस दस्तावेज में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पार्टी यहाँ बताए गए अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी, अगर ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण होती है (जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कामों, प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, नेटवर्क फेलियर, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) के कारण होने वाली कोई भी देरी शामिल है), बशर्ते कि सप्लायर द्वारा कोई भी देरी उस पार्टी को देरी की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी, सिवाय इसके कि जब ऐसी देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर हो।

### डी. अस्वीकरण:

- (i) हालांकि इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार खुद को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।
- (ii) बैंक प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (iii) हालांकि यह दस्तावेज अच्छे इरादे से तैयार किया गया है, लेकिन न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार कोई भी बयान या वारंटी, साफ़ तौर पर या इशारों में देते हैं, या इसमें दिए गए किसी भी बयान या चूक, या जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई ज़िम्मेदारी या जवाबदेही स्वीकार करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के बारे में किसी भी कानून, नियम या विनियमों के तहत कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, भले ही उनकी ओर से किसी भी काम या चूक से कोई नुकसान या क्षति हो।

### ई. गोपनीयता कथन:

- (i) इस निविदा दस्तावेज में निहित जानकारी या बाद में निविदाकर्ता (ओं) को प्रदान की गई जानकारी, चाहे मौखिक रूप से या बैंक की ओर से या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई हो, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों और अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान

की जाती है।

- (ii) इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।
- (iii) इस निविदा दस्तावेज़ में प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल नहीं है।
- (iv) यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और प्रत्येक बोलीदाता की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है जो इस निविदा दस्तावेज़ को पढ़ता है या उपयोग करता है।
- (v) प्रत्येक निविदाकर्ता अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करेगा और इस निविदा दस्तावेज़ में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां भी वह आवश्यक समझता है, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करना चाहिए।
- (vi) बैंक और कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और निविदा दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, मूर्ति, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

पता:

मुहर:

दिनांक:

स्थान:

**खंड - III**  
**तकनीकी बोली प्रपत्र फॉर्म Technical Bid Form**  
**(एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर भरना, हस्ताक्षरित और अपलोड करना है)**

क्र. सं.	विवरण	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी		
		कार्यालय	आवास	मोबाइल
1.	निविदाकर्ता का नाम			
2.	चाहे निविदाकर्ता कोई कंपनी, साझेदारी फर्म हो या एकल स्वामित्व वाली संस्था			
3.	उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जो अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अधिकृत हैं।			
4 (i).	कंपनी/साझेदारी/फर्म/एकल स्वामित्व संस्था का पंजीकृत पता			
4 (ii).	कंपनी/साझेदारी/फर्म/एकल स्वामित्व संस्था का संपर्क पता			
5.	टेलीफोन नंबर			
6.	ई-मेल आईडी			
7.	फ़ैक्स नंबर			
8.	लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत निविदाकर्ता के कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का पता			
9.	इसी तरह के काम करने में अनुभव (वर्षों की संख्या) (ग्राहक प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने हैं)			
10.	बैंक खाता विवरण:  बैंक शाखा का नाम पता खाते की प्रकृति खाता संख्या IFSC कोड			
11.	स्थायी खाता संख्या (PAN)			
12.	जीएसटीआईएन (GSTIN)			
13.	पिछले तीन वर्षों का वार्षिक कारोबार (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न किए जाने हैं)	2023-24	(₹	लाख में)
		2024-25	(₹	लाख में)
		2025-26	(₹	लाख में)
14.	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल मूल्य (प्रति संलग्न की जानी है)			
15.	क्या फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी अदालत में लंबित है? (हां/नहीं)			

16.	क्या निविदाकर्ता को कभी बैंक या राज्य/केंद्र सरकार के विभाग द्वारा काली सूची में डाला गया है; (हां नहीं) (यदि फर्म या उसके निदेशकों को कभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय द्वारा आवेदन करने से प्रतिबंधित किया गया है या काली सूची में डाला गया है या किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)	
17.	सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस का विवरण, जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रदान किया गया है। (प्रति संलग्न की जानी है।)	
18.	क्या आप अल्प सूचना पर अपेक्षित संख्या में श्रमिकों की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं?	

19. **अनुभव विवरण:** पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों / अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा करने के दस्तावेजी साक्ष्य और प्रासंगिक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक पर निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।

क्रमांक	संस्था का नाम	पता और फोन नंबर	अनुबंध अवधि	संस्थान में किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (₹)
i.				
ii.				
iii.				

20. **संपर्क विवरण:** वाहनों के लिए मांगें संप्रेषित करने के लिए विवरण

नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	मोबाइल नंबर	फैक्स नं.	ई-मेल पता

21. **बयाना जमा राशि का विवरण:**

i.	एनईएफटी विवरण	
ii.	राशि (आंकड़ों और शब्दों में)	
iii.	बैंक का नाम	
iv.	शाखा का नाम	

22. **क्या अनुबंध के नियम और शर्तें बोलीदाता को स्वीकार्य हैं? हाँ/नहीं**

यदि हां, तो इस निविदा दस्तावेज की खंड - II में दी गई अनुबंध के नियमों और शर्तों की एक प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### घोषणा:

ए) मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और एतद्वारा उन्हें स्वीकार करते हैं।

बी) मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और यदि उनमें से कोई भी बाद में गलत/गलत साबित होती है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो वह उचित समझे।

सी) मैं/हम समझते हैं कि यदि मुझे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/गलत पाई जाती है तो हमारी निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा। मैं/हम इस संबंध में आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाएंगे।

कंपनी/साझेदारी/फर्म/स्वामित्व संस्था के अधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/साझेदारी/फर्म/स्वामित्व संस्था की मुहर सहित):

दिनांक:

गवाह 1:

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

गवाह 2:

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

**खंड – IV**  
**करार की शर्तें**  
**(सफल निविदाकर्ता के साथ प्रवेश किया जाना है)**

यह करार लखनऊ में तारीख -----दिन ----- को भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010, जिसका केंद्रीय कार्यालय फोर्ट, मुंबई 400 001 में है, (जिसे इसके बाद बैंक कहा जाएगा) जिसके महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, जिसमें उनके पद के उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे, एक पक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के बीच किया गया और ----- जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा (जिसमें उनके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी शामिल होंगे) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

जबकि बैंक ने मजदूर की आपूर्ति के लिए ठेकेदार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के परिसर में या बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य परिसर में, बोरियों में पैक किए गए सिक्कों की लोडिंग, अनलोडिंग, तौल, ढुलाई, स्टैकिंग तथा अन्य विविध आनुषंगिक कार्यों के लिए।
- ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के परिसर में, रेलवे स्टेशनों/हवाई अड्डों पर, अथवा बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य परिसर में, नोटों से भरे बक्सों की लोडिंग, अनलोडिंग और स्टैकिंग करना।

जबकि ठेकेदार ने संलग्न अनुसूची 1 में निर्दिष्ट दरों और शर्तों पर मजदूरों की आपूर्ति के लिए सहमति दी है:

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के परिसर में या बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य परिसर में, बोरियों में पैक किए गए सिक्कों की लोडिंग, अनलोडिंग, तौल, ढुलाई, स्टैकिंग तथा अन्य विविध आनुषंगिक कार्यों के लिए।
- ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के परिसर में, रेलवे स्टेशनों/हवाई अड्डों पर, अथवा बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य परिसर में, नोटों से भरे बक्सों की लोडिंग, अनलोडिंग और स्टैकिंग करना।

और चूंकि बैंक ने ठेकेदार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को, दोनों पक्षों के बीच सहमत निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर स्वीकार कर लिया है, जो इस अनुबंध का हिस्सा हैं।

अतः अब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से यह तय किया जाता है और निम्नलिखित रूप से घोषणा की जाती है:

**1(ए).** ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान हर समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ के महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी से इस आशय का लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त होने के बारह घंटे के भीतर, उतने सक्षम मजदूरों/श्रमिकों की आपूर्ति करेगा, जितने सिक्कों की बोरियों और नोटों के बक्सों को संभालने के लिए, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, लखनऊ में काम की विविध आनुषंगिक मदों के लिए आवश्यक हों, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो।

**1(बी).** इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित सामान्य व्यावसायिक घंटों या सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/दिनों या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून/प्रावधान से अधिक काम करने की आवश्यकता हो।

**1(सी).** तत्काल अवसरों/मामलों पर, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा प्रमाणित, ठेकेदार तीन घंटे की अल्प सूचना पर पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध कराने के अनुरोध का अनुपालन करेगा। किसी भी अवसर/मामले के तत्काल होने के संबंध में निर्णय

बैंक के पास होगा और यह इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा कि बैंक ने इस तरह के नोटिस को सूचित किया है और इसे जरूरी बताया है। ठेकेदार इसका अनुपालन करेगा और तदनुसार कार्य करेगा। सिक्कों के थैलों और नोट बक्से की लोडिंग और अनलोडिंग एक बंद क्षेत्र यानी सुरक्षा-यार्ड में की जाएगी।

**1(डी).** ठेकेदार इस अनुबंध को आगे किसी को हस्तांतरित नहीं करेगा, न ही इसे किसी को देगा और न ही इसे आगे किसी को उप-ठेके पर देगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को उप-ठेके पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और **PBG** को लागू कर सकता है।

**1(ई).** ठेकेदार, मज़दूरों की अक्षमता/गतिविधि या ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त मज़दूरों को लगाने के कारण होने वाली किसी भी कमी या सिक्के के थैलों/नोटों के बक्सों को तोलने, लोड करने, अनलोड करने, स्टोर करने, गाड़ी में ले जाने, पैक करने, अनपैक करने, ले जाने और डिलीवर करने में किसी भी अक्षमता, लापरवाही या कमी या देरी या उसकी ओर से या ठेकेदार द्वारा लगाए गए मज़दूरों या अन्य कर्मचारियों की ओर से किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी वाले आचरण के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई करेगा।

**1(एफ़).** बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी ऐसे मजदूर/कामगार की सेवाएं न लेने का निदेश दे जो उपर्युक्त कार्यों को करने में अक्षम और/या लापरवाह हो। बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को किसी भी ऐसे श्रमिकों/मजदूरों की सेवाओं को बंद करने का निर्देश दे जो बैंक में उपरोक्त कार्यों को करते समय या अन्यथा किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी वाली गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने पर, ठेकेदार बैंक में उपरोक्त कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसे श्रमिकों/मजदूरों की सेवाओं को तुरंत बंद कर देगा। यदि ठेकेदार बैंक के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक इस तरह के गैर-अनुपालन की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन **₹500/-** (रुपये पांच सौ मात्र) का जुर्माना लगा सकता है। निरंतर गैर-अनुपालन या बार-बार पुनरावृत्ति के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।

**1(जी).** ठेकेदार निविदा के संबंध में अपने द्वारा लगाए गए मज़दूरों को होने वाली संभावित व्यक्तिगत चोटों के लिए उपयुक्त लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर लेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह इंश्योरेंस कवर इसकरार की अवधि के दौरान हमेशा चालू रहे। महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को ठेकेदार से खरीदी गई बीमा पॉलिसी मांगने और ठेकेदार द्वारा लिए गए इंश्योरेंस कवर की पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए उसकी जांच, परीक्षण या छानबीन करने का अधिकार होगा। यदि महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ यह तय करते हैं कि इंश्योरेंस कवर पर्याप्त नहीं है (राशि) या इसमें उन सभी जोखिमों को कवर नहीं किया गया है जिनसे कर्मचारी/मज़दूर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के काम में शामिल जोखिमों को देखते हुए अवगत हैं, तो ठेकेदार महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा निर्धारित कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि के साथ-साथ मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किए गए जोखिमों के लिए भी इंश्योरेंस कवर खरीदेगा, ऐसा न करने पर बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए इंश्योरेंस खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए खर्चों को ठेकेदार से वसूल करेगा।

**1(एच).** ठेकेदार, बैंक से संविदा प्राप्त होने के संबंध में पत्र मिलने के तुरंत बाद, उन मज़दूरों, सुपरवाइज़र अथवा अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के नामों की एक सूची प्रस्तुत करेगा जो कि इस करार के तहत काम करने से जुड़े होंगे। ठेकेदार ऊपर बताए गए मज़दूरों, हेल्परों, सुपरवाइज़र अथवा अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों की तस्वीरें, रहने के पते, स्थायी पते और चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार संविदा आरंभ होने से पहले सभी मज़दूरों, हेल्परों, सुपरवाइज़र अथवा अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के पिछले रिकॉर्ड और चरित्र के संबंध में पुलिस विभाग से सत्यापित करवाएगा।

**1(आई).** ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य/गतिविधियां सही से, सावधानी से, तेज़ी से और

कुशल तरीके से की जाएं। पूरा कार्य/गतिविधियां नोट के बॉक्से और सिक्कों के बैग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना की जानी चाहिए।

**1(जे).** इस करार के अंतर्गत काम करने के लिए रखे गए संविदा श्रमिकों की देखरेख और नियंत्रण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। संविदा श्रमिकों की हाजिरी/गैर-हाजिरी मार्क करने के लिए रिकॉर्ड/मस्टर का रखरखाव करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी और ऐसा रिकॉर्ड/मस्टर हमेशा ठेकेदार के नियंत्रण में रहेगा।

**1(के).** ठेकेदार इस संविदा के दौरान हर समय संविदा श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखेगा और छुट्टी अथवा गैर-मौजूदगी से जुड़े मामलों कि देखभाल करेगा। ठेकेदार सभी मज़दूरों और अन्य कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र भी जारी करेगा जो इस करार के अंतर्गत कार्य से जुड़े हो सकते हैं।

**1(एल).** ठेकेदार बैंक की आईएस पॉलिसी के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

**1(एम).** उपखंडों के तहत दिए गए किसी भी नोटिस (अर्जेंट नोटिस को छोड़कर) को प्रभारी उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक निरस्त/प्रत्यादेशित कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें मज़दूरों की आपूर्ति के लिए तय समय से कम से कम तीन घंटे पहले लिखित, मौखिक अथवा टेलीफ़ोन के माध्यम से नोटिस देना होगा, और ठेकेदार को इसके लिए कोई भुगतान अथवा मुआवज़ा प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि रेलगाड़ी देरी से चलने के कारण विप्रेषण निर्धारित समय से देरी से प्राप्त होता है तो ठेकेदार को इस कारण से कोई अतिरिक्त चार्ज प्रदान नहीं किया जाएगा।

**1(एन).** संविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात ठेकेदार की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह संविदा को सफलतापूर्वक पूरा करे। अगर ठेकेदार को दिया गया कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी पीबीजी ज़ब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को अपनी किसी भी लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी तरह के नुकसान से बैंक को क्षतिपूरित रखना होगा, जिसके लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं है।

**2(a).** भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

**2(b).** ठेकेदार को इस करार की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरी अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और ठेकेदार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा। उद्धृत कीमतों में सभी कर (लेकिन जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, स्थानीय शुल्क, कार्य अनुबंध कर या कोई अन्य कर शामिल होंगे, जो केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा दरों पर लगाए गए हैं। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

**2(c).** बैंक भुगतान के पश्चात लेखा परीक्षा अथवा तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी अधिक भुगतान को वसूल करने, वसूलने/प्रवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**2(d).** अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को ठेकेदार को देय अथवा देय होने वाली देय राशि से काट ली जाएगी। अंतिम उपाय के रूप में पीबीजी को लागू किया जा सकता है।

**2(e).** इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है,

क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**2(f).** ठेकेदार को किए जाने वाले सभी भुगतान इस संबंध में प्रासंगिक कानूनों/नियमों के तहत निर्दिष्ट दर पर स्रोत पर कर कटौती के अधीन होंगे।

**2(g).** भुगतान के उद्देश्य के लिए, सभी प्रकार से पूरे किए गए कार्य को बैंक के अधिकारियों की क्षमता में काम करने वाले स्टेशन ड्यूटी अधिकारी/तिजोरी के संयुक्त अभिरक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

**2(h).** ऐसे मामले में जहां काम पर लगे मजदूरों की संख्या 20 से कम है, ठेकेदार को एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि:

उन्होंने किसी भी दिन 19 से अधिक मजदूरों को काम पर नहीं रखा है और किसी भी मजदूर की लगातार अवधि एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक नहीं हुई है।

**2(i).** अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट कार्य के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य करने वाले ठेकेदार के मामले में, उक्त अतिरिक्त कार्य शुरू होने से पहले लिखित रूप में पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत दरों के अनुसार बिलों का निपटान किया जाएगा।

**2(j).** ठेकेदार की लापरवाही के कारण बैंक को हुई क्षति और हानि की राशि और लगाए गए किसी भी जुर्माने को बैंक द्वारा समय-समय पर ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटा जा सकता है और/या अन्यथा उससे वसूल किया जा सकता है।

**3(a).** अगर कोई निविदा प्रस्तुतकर्ता स्वयं अथवा अपनी तरफ से कोई कैंपेनिंग करने की कोशिश करता है या संविदा की जांच, तुलना, मूल्यांकन और अवॉर्ड के बारे में बैंक के फैसले पर राजनीतिक अथवा कोई दूसरा बाहरी दबाव डालने की कोशिश करता है, तो इसे एक गंभीर गलत कार्य माना जाएगा। ऐसे मामले में निविदाकर्ता की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

**3(b).** किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी भी एक द्वारा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति हेतु लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है। ठेकेदार नोटिस अवधि के दौरान बैंक द्वारा ठेकेदार को सौंपे गए कार्यों को उचित परिश्रम, स्थिरता और दक्षता के साथ पूरा करना होगा।

**3(c).** श्रमिकों / मजदूरों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का अनुपालन करने में ठेकेदार द्वारा किसी भी देरी अथवा अनुबंध के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा माना जाता है कि जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त गंभीर है तो पूर्वोक्त महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से ठेकेदार पर जुर्माना लगा सकते हैं जो कि ₹5,000 (रुपए पांच हजार मात्र) से अधिक का नहीं होगा।

**3(d).** उन सभी मामलों में जहां ठेकेदार पर कुल अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत से अधिक का संचयी जुर्माना लगाया गया है, तो अनुबंध की दो साल की प्रारंभिक अवधि के पश्चात आगे के विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

**3(e).** अनुबंध की निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदार के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय कार्य-निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर दिया जाएगा।

**3(f).** यदि ठेकेदार लगातार तीन से अधिक अवसरों पर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को कोई नोटिस दिए बिना/बिना किसी कारण के संविदा को समाप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे मामले में ठेकेदार के पास मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**4(a).** ठेकेदार को देश और उत्तर प्रदेश राज्य में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूरित रखेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

**4(b).** बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात्, जीएसटी प्राधिकरणों/आयकर/पैन/ईपीएफआई/ईएसआई प्राधिकरणों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए;

**4(c).** बैंक और अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैनात व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। ठेकेदार को अपने काम पर लगाए गए मज़दूरों/श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 या इस उद्देश्य के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान, और समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अन्य सभी वैधानिक भुगतानों के अलावा, सभी लागू वैधानिक भुगतान करने होंगे, जो भी अधिक हो।

**4(d).** कामगारों / मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कामगारों / मज़दूरों को ईपीएफ़ अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, भुगतान बोनस अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/या लाभांश और लागू होने पर ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई दिया जाना चाहिए। ईएसआई न होने पर, ठेकेदार को बीमा कवरेज के तहत जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसे कि कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के तहत कर्मचारी मुआवज़ा बीमा। कुल प्रीमियम का भुगतान ठेकेदार करेगा। ठेकेदार के पास अपने काम करने वालों/मज़दूरों के लिए पीएफ़ योगदान करने के लिए एक वैध PF खाता होना चाहिए। किसी भी सांविधिक भुगतान का अनुपालन न करने के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; बैंक के अनुबंध को रद्द करने के अधिकार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, वही बिल से काट लिया जाएगा। ठेकेदार को सभी अभिलेख और कानूनी दस्तावेज़ों को मौजूदा कानून के अनुसार

अद्यतन रखना होगा और मांगे जाने पर प्रबंधन/सांविधिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

**4(e).** ठेकेदार बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत निषिद्ध बाल श्रम की आपूर्ति नहीं करेगा।

**4(f).** मजदूरी की अवधि ठेकेदार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और यह एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठेकेदार बैंक के काम के लिए नियुक्त अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के साथ वेतन भुगतान का विवरण हर तीन महीने में बैंक के समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए जा सकते हैं और भुगतान दर्शाने वाले बैंक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

**4(g).** प्रधान नियोक्ता अर्थात् बैंक, ठेकेदार द्वारा उसे सौंपे गए कामों को पूरा करने के लिए रखे गए कर्मचारियों को कोई भी रोजगार संबंधी फ़ायदे देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो लागू किसी भी कानून के संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से चूक अथवा गलती करने के लिए, ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार को द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में ठेकेदार से वसूल की जा सकती है।

**4(h).** ठेकेदार, उसके द्वारा संविदा को पूरा करने के लिए लगाए गए किसी भी मजदूर अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

**4(i).** बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

**4(j).** ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

**4(k).** ठेकेदार को संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 ("सीएलआरए अधिनियम") और संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 ("सीएलआरए नियम") या किसी अन्य कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, अभियोजन या कार्रवाई के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी और क्षतिपूर्ति रखना होगा। ठेकेदार को सीएलआरए अधिनियम की धारा 12(1) के तहत प्रदान किए गए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त

करना होगा और सीएलआरए अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

**4(l).** ठेकेदार इस संविदा के निष्पादन के दौरान बैंक की संपत्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति या किसी तीसरे पक्ष / प्राधिकरण द्वारा किए गए दावे के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूरित रखेगा।

**5.** इस करार के तहत अपनी संविदागत बाध्यताओं का निर्वाह करते हुए संविदाकार को बैंक की बुनियादी सुविधाओं/प्रणालियों/उपकरणों आदि की जो सूचना, सामग्री एवं ब्योरों की जानकारी आती है वह इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तृतीय पक्ष को नहीं बताएगा एवं इसे हमेशा पूर्णतः गोपनीय रखेगा। संविदा के के ब्योरों को संविदाकार हमेशा सुरक्षित एवं गोपनीय रखेगा सिवाय उस स्तर के जितना कि अपनी बाध्यताओं को पूरा करने या लागू कानूनों के अनुपालन के लिए प्रकट करना आवश्यक हो। बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना ठेकादार किसी भी ट्रेड या तकनीकी पर्वे या अन्यत्र इस कार्य से संबंधित किसी विवरण को छापेगा नहीं, न ही छापने की अनुमति देगा अथवा न इसे प्रकट करेगा। किसी भी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण के फलस्वरूप बैंक को होने वाले नुकसान के प्रति ठेकादार बैंक को क्षतिपूरित रखेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफल रहने पर बोलीदाता/विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार की ओर से का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों का पालन करने का हकदार होगा। बोलीदाता/वेंडर/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार अपने स्टाफ सदस्यों के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जाए। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व चाहे जिस भी कारण से इस करार की समाप्ति के पश्चात भी लागू रहेंगे।

**6(a).** संचालन और रखरखाव के कार्यों पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, प्रतिभूति और बीमा अथवा जीवन बीमा की पूरी ज़िम्मेदारी अकेले ठेकेदार की होगी।

**6(b).** ठेकेदार अपने खर्च पर, लेकिन बैंक द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर, अनुबंध में बताए गए जोखिमों और कवरेज के लिए बीमा करवाएगा और उसका रखरखाव करेगा। वेंडर द्वारा प्रस्तुत की गई बीमा पॉलिसी में भारतीय रिज़र्व बैंक का नाम और उस कार्य का नाम दर्शाया जाना चाहिए जिसके लिए बीमा लिया गया है।

**6(c).** ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

**6(d).** अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति को हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**6(e).** उद्धृत गई दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित / अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए - जहाँ सेवा दी जाती है और इसमें सभी विधिक ज़िम्मेदारियाँ शामिल होंगी।

**6(f).** ठेकेदार अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त सभी कर्मचारियों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकायों के लिए

ज़िम्मेदार होगा और बैंक, कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

**6(g).** ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। ठेकेदार अपने द्वारा तैनात सभी जनशक्ति के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिनियुक्त जनशक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

**7(a).** यदि अनुबंध अथवा उससे संबन्धित कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और ठेकेदार / प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, सद्भावना के साथ, आपसी चर्चा के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना होगा, यह अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/ सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने का नोटिस देता है।

**7(b).** यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण करार नहीं हो पाता है, तो विवाद को माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, मध्यस्थता अथवा सुलह के माध्यम से संदर्भित किया जाएगा और अंत में हल किया जाएगा और यह मध्यस्थता केवल लखनऊ में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और करार पर लागू होगा।

**7(c). क्षेत्राधिकार और शासी कानून:** यह करार लखनऊ की अदालतों के अधिकार क्षेत्र और भारत में लागू कानूनों के अधीन होगा।

**8(a).** भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पक्ष में ₹1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार रुपए मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनिर्णय की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

**8(b).** पीबीजी ठेकेदार द्वारा संविदा की शर्तों को पूरा करने के लिए संविदा की पूरी अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। पीबीजी जमा करना निविदा में निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। यदि संविदा का नवीनीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार तदनुसार एक विस्तारित कार्य निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

**8(c).** पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

**8(d).** संचालित किए जाने वाले नोट बॉक्स/सिक्का बैग की संख्या में वृद्धि होने के कारण संविदा के मूल्य में वृद्धि होने पर, बैंक गारंटी की राशि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदान करेगा।

**9.** ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों और/या कर्मियों की कोई भी कार्रवाई प्रचलित कानूनों और विनियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। ठेकेदार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले

किसी भी कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेगा, जिसके खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कोई शिकायत दर्ज है।

**10.** ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों / कर्मचारियों को बैंक के स्टाफ सदस्यों / अतिथियों आदि द्वारा प्राप्त सुविधाओं पर कोई अधिकार / दावा नहीं होगा। ठेकेदार के कर्मचारियों का बैंक के साथ कोई कर्मचारी-नियोक्ता अथवा मालिक-नौकर संबंध नहीं होगा।

**11.** अनुबंध **01 जुलाई 2026 से आरंभ होकर 31 मार्च 2028** तक की अवधि के लिए होगा। इस अनुबंध को, यहां ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर, दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, यदि ठेकेदार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक द्वारा बिना किसी नोटिस अथवा मुआवजे के एकतरफा रूप से संविदा को समाप्त कर दिया जाएगा।

**12.** इस करार के प्रावधानों और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई दरें **01 जुलाई 2026** से प्रभावी होंगी।

**13.** ठेकेदार के श्रमिक/कामगार कर्मचारियों से संबंधित किसी भी समस्या के मामले में, इसका समाधान ठेकेदार की ओर से ही किया जाएगा। ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को उपयुक्त रूप से क्षतिपूरित रखेगा। ठेकेदार के कर्मियों/कर्मचारियों का भारतीय रिज़र्व बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं है और यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका भारतीय रिज़र्व बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ या उसके विरुद्ध, उनकी किसी सेवा शर्तों के संबंध में या अन्यथा प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे।

**14.** ठेकेदार, अनुबंध की अवधि के दौरान लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से होने वाले नुकसान, क्षति अथवा दावों के लिए और ठेकेदार अथवा उसके सर्विस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार, चूक और लापरवाही के कारण किए गए उल्लंघन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक के निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को क्षतिपूरित रखेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा।

**15.** ठेकेदार, मज़दूरी, टैक्स, ड्यूटी और लेवी के भुगतान न होने या कम भुगतान होने के कारण बैंक को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगा और बैंक को ऐसे नुकसान से सुरक्षित रखेगा। ये भुगतान बैंक को किसी भी अदालत, वैधानिक या प्रशासनिक प्राधिकरण या नगरपालिका द्वारा जारी की गई मांग/आदेशों पर करने पड़ सकते हैं। ऐसे आदेशों/मांगों का पालन करते हुए बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि, कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी से या इस अनुबंध या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय अन्य बकाया राशि से वसूल की जाएगी; यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो यह राशि ठेकेदार पर बैंक का बकाया ऋण मानी जाएगी। बैंक को ऐसी राशियों की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जिसमें लागत और चूक की पूरी अवधि के लिए, चूक की राशि पर 18.00% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी शामिल होगा।

**16.** ठेकेदार की सेवा में कमी के कारण रेलवे को दिया गया डेमरेज चार्ज, बैंक को हुआ कोई नुकसान या हानि, और बैंक पर लगाए गए कोई भी परिनिर्धारित हर्जाना, या ऐसे खर्च जो बैंक को किसी भी अदालत, वैधानिक, प्रशासनिक या नगरपालिका अधिकारियों द्वारा या उनके सामने शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में अपना बचाव करने के लिए उठाने पड़ सकते हैं, बैंक द्वारा कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी या इस या बैंक के साथ किसी अन्य

अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय अन्य बकाया राशि से वसूल किए जाएंगे। कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के समायोजन के बाद जो राशि बकाया रहती है, उसे ठेकेदार को देय या उसके लिए देय होने वाली बकाया राशि से वसूल किया जाएगा; ऐसा न होने पर, उस राशि को ठेकेदार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। बैंक को ऐसे ऋण की वसूली के लिए उचित कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी राशि कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी से वसूल की जाती है, तो ठेकेदार समायोजन की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी में हुई उस कमी को पूरा करेगा। बैंक को कमी की अवधि के लिए, कमी वाली राशि पर 18.00% प्रति वर्ष की साधारण दर से ब्याज लेने का अधिकार होगा।

**17(a).** ठेकेदार को उन सभी कर्मचारियों जैसे सुपरवाइज़र, मज़दूर और अन्य स्टाफ़ को उचित यूनिफ़ॉर्म और फ़ोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने चाहिए, जो इस अनुबंध के तहत आने वाले कार्यों के निष्पादन से जुड़े हो सकते हैं। इस अनुबंध के तहत काम के लिए तैनात ठेकेदार के कर्मचारियों/कर्मियों की निगरानी करने, उनका प्रबंधन करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने की पूरी ज़िम्मेदारी केवल ठेकेदार की होगी। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी/कर्मि बैंक के कामकाज में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अनुशासनहीनता या बाधा उत्पन्न न करें; ऐसा वे न तो इस अनुबंध के तहत चल रहे काम में रुकावट डालकर करेंगे, और न ही बैंक के अन्य कार्यों/संचालनों में चाहे वे कार्य बैंक के अपने कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हों, या बैंक का काम करने वाले अन्य ठेकेदारों के कर्मचारियों/कर्मियों द्वारा।

ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी/कर्मि बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों के साथ, या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के कर्मचारियों/कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, झगड़ा या मारपीट न करें; और न ही बैंक की संपत्ति को, या बैंक परिसर के अंदर पार्क किए गए बैंक के वाहनों या उसके अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों को कोई नुकसान पहुँचाएँ। यदि बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार अपने कर्मचारियों/कर्मियों की निगरानी करने में विफल रहा है, तो बैंक ऐसे प्रत्येक मामले के लिए ₹10,000/- (रुपए दस हज़ार रुपए) का परिनिर्धारित हर्जाना लगा सकता है। ठेकेदार उन व्यक्तियों को मुआवज़ा देने के लिए भी उत्तरदायी होगा जिन्हें उसके कर्मियों के दुर्व्यवहार/लापरवाही के परिणामस्वरूप कोई चोट पहुँची हो। बैंक ठेकेदार को यह निर्देश भी दे सकता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखे जिसने बैंक के किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ, या किसी अन्य ठेकेदार के कर्मचारी/कर्मि के साथ दुर्व्यवहार या झगड़ा किया हो, या किसी को चोट पहुँचाई हो, अथवा बैंक की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया हो। बैंक के ऐसे निर्देश का पालन न करने पर, बैंक को उस निर्देश में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक मामले के लिए ₹2,000/- (रुपए दो हज़ार मात्र) का परिनिर्धारित हर्जाना लगाने का अधिकार होगा। यह परिनिर्धारित हर्जाना बैंक की संपत्तियों को हुई वास्तविक क्षति के अतिरिक्त होगा। बैंक इस राशि को, इस अनुबंध या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से वसूल करने का हकदार होगा।

**17(b).** काम के दौरान घायल हुए व्यक्ति को बिना किसी देरी के पास के किसी सरकारी अस्पताल में ले जाया जाएगा। यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ठेकेदार इसकी व्यवस्था करेगा।

**18(a).** ठेकेदार के पास संचार के पर्याप्त साधन होने चाहिए ताकि बैंक उससे लगातार संपर्क बनाए रख सके। कम से कम, ठेकेदार के पास एक टेलीफ़ोन (लैंडलाइन), एक मोबाइल नंबर, एक फ़ैक्स नंबर और एक ई-मेल पता होना चाहिए; ये सभी हर समय चालू रहने चाहिए। ठेकेदार को ऐसे पर्याप्त इंतज़ाम करने होंगे ताकि ऊपर बताए गए संचार के किसी भी एक या ज़्यादा माध्यमों से उसे मिलने वाले किसी भी अनुरोध, मांग या निर्देश का वह तुरंत जवाब दे सके। इस समझौते पर हस्ताक्षर होते ही, ठेकेदार को इस काम के लिए संपर्क करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम तुरंत बताने होंगे। संपर्क करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम में कोई भी बदलाव होने पर, ठेकेदार को तुरंत बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। ठेकेदार को अपने टेलीफ़ोन नंबरों/ई-मेल पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना होगा। ऊपर बताए गए संचार के किसी भी माध्यम में कोई भी

अस्थायी रुकावट आने पर, ठेकेदार को तुरंत वैकल्पिक इंतज़ाम करने होंगे ताकि संचार का माध्यम हमेशा चालू रहे। ऊपर बताए गए संचार के किसी भी माध्यम को स्थापित करने और चालू रखने में विफलता, या किसी रुकावट की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था न करने पर, संचार के हर बंद माध्यम के लिए ठेकेदार पर प्रतिदिन ₹500 (रुपए पाँच सौ मात्र) का परिनिर्धारित हर्जाना लगाया जा सकता है।

**18(b).** यदि किसी भी समय, संचार के सभी माध्यमों में रुकावट या किसी अन्य कारण से बैंक ठेकेदार से संपर्क करने की स्थिति में नहीं होता है, तो बैंक को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना भेजने के लिए विवश होना पड़ेगा; और बैंक द्वारा डाकघर में उक्त सूचना जमा कर दिए जाने पर, उसे भेजी गई सूचना पूर्ण मानी जाएगी।

**19.** चूँकि बैंक के काम के अलग-अलग पहलुओं को पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा ठेकेदार हो सकते हैं, इसलिए यह ठेकेदार का फ़र्ज़ होगा कि वह यह पक्का करे कि उसके कर्मचारी, बैंक के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऐसे काम करने वाले अन्य कर्मचारियों/कर्मियों के साथ सहयोग करें। इस शर्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठेकेदार बैंक के कर्मचारियों और दूसरे ठेकेदारों के साथ पूरा तालमेल बनाकर रखेगा।

**20.** यह करार बैंक और ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों या ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं करेगा, और इस संबंध में बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

**21.** ठेकेदार किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि, दंगे या अव्यवस्थित आचरण को रोकने के लिए, तथा अपने तैनात कर्मचारियों के कृत्यों को नियंत्रित करने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतेगा; साथ ही, वह शांति बनाए रखने और बैंक के व्यक्तियों व संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

**22(a).** ठेकेदार मौजूदा कानूनों, नियमों, आदेशों आदि के पालन के दस्तावेज़ी सबूतों को, उनके तहत निर्धारित प्रारूपों में, बनाए रखेगा। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दस्तावेज़ों को मंगवाए और उनकी जांच/निरीक्षण/सत्यापन करे, ताकि वह इस बात से संतुष्ट हो सके कि नियमों का पालन किया गया है। ठेकेदार ऐसे दस्तावेज़ बैंक को उचित समय के भीतर उपलब्ध कराएगा; यह समय सीमा, ठेकेदार को लिखित रूप में ऐसी आवश्यकता की सूचना दिए जाने के बाद पाँच कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी, या फिर अदालत, ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण आदि द्वारा निर्देशित कोई अन्य अवधि होगी—इन दोनों में से जो भी अवधि कम हो, उसे ही माना जाएगा। यदि ठेकेदार सभी दृष्टियों से पूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह दस्तावेज़ जमा करने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद, ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रतिदिन की दर से परिनिर्धारित हर्जाना लगा सके।

**22(b).** ठेकेदार द्वारा अभिलेखों का रखरखाव न करने या ऐसे अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण बैंक को होने वाली किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि, परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, भुगतान आदि जिसके कारण बैंक किसी न्यायालय, वैधानिक या प्रशासनिक प्राधिकरण, या नगरपालिका निकाय के समक्ष (यदि उनके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए) ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, की वसूली बैंक द्वारा कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी से, अथवा इस अनुबंध या बैंक के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय अन्य राशियों से की जाएगी। यदि बैंक उक्त राशि (या राशियों) की पूर्ण वसूली करने में असमर्थ रहता है, तो शेष राशि की वसूली ठेकेदार पर बैंक के बकाया ऋण के रूप में की जाएगी।

**22(c).** यदि वैधानिक बकाए या अनुपालन के संबंध में, जिसके लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार है, बैंक के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की जाती है, तो ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और उसे क्षतिपूर्ति से सुरक्षित रखेगा। यदि ठेकेदार, ऐसे गैर-अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उचित समय के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तो बैंक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

**23.** ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस अनुबंध की अवधि के दौरान, अपने अनुबंधित श्रमिकों को समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, ऐसी मजदूरी का भुगतान करे; साथ ही, उसे नियमानुसार छंटनी मुआवजा, नोटिस वेतन, ग्रेच्युटी और बोनस का भुगतान भी करना होगा। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी कल्याणकारी उपाय अनुबंधित श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

**24.** इस अनुबंध को, पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय की गई शर्तों और नियमों के आधार पर तथा ठेकेदार के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के अधीन रहते हुए, आपसी समझौते द्वारा विस्तार प्रदान करके एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**25.** यह समझौता दो प्रतियों/प्रतिलिपि में निष्पादित किया जाएगा। मूल समझौता बैंक के पास रखा जाएगा और इसकी दूसरी प्रति/प्रतिलिपि ठेकेदार के पास रखी जाएगी। इस समझौते के संबंध में देय स्टाम्प शुल्क और अन्य सभी खर्च (मूल प्रति के साथ-साथ प्रतिलिपि प्रतियां भी) ठेकेदार द्वारा ही वहन और भुगतान किए जाएंगे।

**26.** इस समझौते का हिंदी संस्करण केवल त्वरित संदर्भ के लिए है। यदि दोनों संस्करणों—अर्थात् अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करण—के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेज़ी संस्करण को ही प्रामाणिक माना जाएगा और वही हिंदी संस्करण पर प्रभावी होगा।

**27.** यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के नवीनीकरण के लिए माँगे गए शुल्कों में वृद्धि की जाती है, तो बैंक इस माँगी गई वृद्धि की औचित्यता की जाँच कर सकता है और अपने विवेक से, इस माँगी गई वृद्धि के संबंध में ठेकेदार के साथ बातचीत कर सकता है।

**28.** ठेकेदार बैंक को वे सभी रजिस्टर, किताबें, दस्तावेज़ या अन्य रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराएगा जिन्हें उसने भौतिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से बनाए रखा है; ऐसा तब किया जाएगा जब बैंक के आंतरिक या बाहरी निरीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों द्वारा इन रजिस्ट्रों, किताबों और दस्तावेज़ों का निरीक्षण, लेखा-परीक्षा, सत्यापन या जाँच की जानी हो; अथवा जब किसी न्यायालय, वैधानिक, प्रशासनिक या नगरपालिका प्राधिकारियों के आदेशों के तहत ऐसा करना आवश्यक हो।

**29.** निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम और शर्तें इस अनुबंध का अभिन्न अंग होंगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप, बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ठेकेदार ने, लखनऊ में, ऊपर सबसे पहले लिखे गए दिन, महीने और वर्ष को, इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

Signature Clause

### **भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से और उसके लिए**

(हस्ताक्षर)

नाम:

सहायक महाप्रबंधक

निर्गम विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ

**गवाह**

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

पता:

**ठेकेदार की ओर से और उसके लिए**

(हस्ताक्षर):

नाम:

सील:

**गवाह**

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

## कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रारूप

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,

8-9, विपिन खंड, गोमती नगर

लखनऊ- 226010

महोदय,

**कार्य का नाम - सिक्कों की थैलियों और नोटों के बक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति**

### कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी

चूंकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ (जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है) (जिसे इसके बाद "आरबीआई" कहा जाएगा) ने उपर्युक्त परियोजना (जिसे इसके बाद "अनुबंध" कहा जाएगा) का अनुबंध मेसर्स \_\_\_\_\_ (ठेकेदार का नाम) (जिसे इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा; इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी शामिल होंगे) को प्रदान किया है।

और चूंकि, उक्त अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार आरबीआई को ₹ \_\_\_\_\_ (रुपए \_\_\_\_\_ मात्र) (अंकों और शब्दों में राशि) की कुल राशि की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि उक्त ठेकेदार अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों का विधिवत पालन कर सके। हम, \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), ठेकेदार मेसर्स \_\_\_\_\_ के अनुरोध पर, एतद्वारा आरबीआई को ₹ \_\_\_\_\_ से अनधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं; यह भुगतान अनुबंध के नियमों और शर्तों के विधिवत पालन हेतु कार्य-निष्पादन गारंटी के रूप में किया जाएगा।

अतः, यह गारंटी एतद्वारा यह साक्ष्य देती है कि

1. हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से सहमत हैं और वचन देते हैं, यह असाइन करते हैं कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो कौन सा निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर हम

भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी देरी के ₹ \_\_\_\_\_ (रुपए \_\_\_\_\_ मात्र ) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, हालांकि, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ \_\_\_\_\_ (रुपए \_\_\_\_\_ मात्र ) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि उपर्युक्त ₹ \_\_\_\_\_ से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी डिमॉर या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक से मांग किए जाने पर कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और प्रमाण या सबूत नहीं मांगेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा इस संबंध में किसी भी तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। बैंक किसी भी न्यायालय, अधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी वाद या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व, आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए किसी भी समझौते या अन्य आपसी समझ से स्वतंत्र होगा।

4. आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे। हम इसके साथ ही सहमत हैं कि –

a. उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने में, या उक्त अनुबंध और/या इसके तहत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में, आरबीआई की ओर से कोई भी नरमी या चूक; या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना; या इससे संबंधित कोई अन्य मामला किसी भी तरह से हमें और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल तभी समाप्त मानी जाएगी जब ठेकेदार अपने दायित्वों को पूरा कर दे; और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे द्वारा ₹ \_\_\_\_\_ (रुपए \_\_\_\_\_ मात्र) से अधिक की राशि का भुगतान किए जाने पर यह गारंटी समाप्त हो जाएगी।

b. इस दस्तावेज़ के अंतर्गत हमारी देयता ₹ \_\_\_\_\_ (रुपए \_\_\_\_\_ मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c. इस करार के तहत हमारी जवाबदेही पर, हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी कमी या अनियमितता का, या उनके दायित्वों का, अथवा हमारे उक्त घटकों के विघटन या उनकी संरचना में किसी भी बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

d. यह गारंटी \_\_\_\_\_ (दोष दायित्व अवधि के 60 दिन बाद तक) तक लागू रहेगी; बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताए गए अनुसार, उन्हीं नियमों और शर्तों पर आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जो इसमें दी गई हैं।

e. इस दस्तावेज़ के तहत हमारी ज़िम्मेदारी तब समाप्त हो जाएगी, जब तक कि इस दस्तावेज़ को ऊपर बताए गए तरीके से \_\_\_\_\_ को या उस दिन नवीनीकृत न कर

दिया जाए (दोनों तारीखों में से जो भी तारीख बाद की हो), जिस दिन हमारे उक्त पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर देते हैं जिसके संबंध में केवल आरबीआई द्वारा जारी लिखित प्रमाण-पत्र ही अंतिम प्रमाण माना जाएगा। जब तक \_\_\_\_\_ या किसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर हमारे खिलाफ़ कोई दावा, मुक़दमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे विरुद्ध आरबीआई के सभी अधिकार समाप्त हो जाएँगे, और हम इस दस्तावेज़ के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों से मुक्त और बरी हो जाएँगे।

इसके साक्ष्य स्वरूप, मैं/हम, बैंक की ओर से, विधिवत अधिकृत होते हुए, इस गारंटी पर दिनांक ---  
----- (माह) (वर्ष) को हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं।

\_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) की ओर से और उनके लिए

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

बैंक की मुहर / सील

बैंक की ओर से और उसकी तरफ से, ऊपर नामित व्यक्ति द्वारा, निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता होगी, जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है; और इस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

**अनुलग्नक II**

## ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण-पत्र

(ग्राहक के पत्र शीर्ष पर)

ग्राहक का नाम और पता:

श्री / मेसर्स द्वारा किए गए कार्यों का विवरण:

1. कार्य का नाम और उसमें शामिल मदों का संक्षिप्त विवरण (मात्राओं की अनुसूची के अनुसार):
2. करार संख्या और दिनांक:
3. करार राशि:
4. कार्य शुरू होने की तिथि:
5. कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि:
6. कार्य पूरा होने की वास्तविक तिथि:
7. देरी के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि बताएं), यदि कोई हो:
8. पूरे किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि:
9. उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया:
10. क्या ठेकेदार ने कार्य निष्पादन के दौरान किसी योग्य पर्यवेक्षक को नियुक्त किया था:
11. i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं):  
उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब  
ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।
12. i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?  
ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि  
iii) प्रदान की गई कुल राशि
13. ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ।
  - a. तकनीकी दक्षता: उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
  - b. वित्तीय सुदृढ़ता: उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
  - c. पर्याप्त उपकरण और संयंत्र की व्यवस्था: उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
  - d. मानव संसाधन की व्यवस्था: उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
  - e. सामान्य व्यवहार: उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर\* (कार्यालय की मुहर सहित)

नोट:

- (i) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए।
- (ii) क्लाइंट की रिपोर्ट/प्रमाण पत्र:

(a) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए प्रत्येक योग्य और समान पूर्ण कार्य के

लिए, प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिशासी अभियंता या उनके समकक्ष या उससे उच्च पद के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए;

(b) निजी कंपनियों के लिए किए गए प्रत्येक योग्य और समान पूर्ण कार्य के लिए, टीडीएस प्रमाण पत्र साथ में संलग्न किया जाना चाहिए; साख/अनुबंध राशि को प्रमाणित करने के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

**बैंकर(रों) का विवरण**

क्रम सं.	मदें	बैंक 1	बैंक 2 और इसी तरह आगे
1.	बैंक का नाम और पता		
2.	बैंक से प्राप्त सुविधाओं का विवरण (यदि कोई ऋण सुविधा शामिल हो तो वह भी)		
3.	संपर्क व्यक्ति		
4.	ईमेल आईडी		
5.	टेलीफ़ोन नंबर		
6.	फ़ैक्स नंबर		

मैं/हम इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ को अपने किसी भी बैंकर से संदर्भ लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता/करते हूँ।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

**शोधक्षमता प्रमाणपत्र**  
(बैंक के पत्र-शीर्ष पर)

---

संदर्भ संख्या :.....

दिनांक:.....

(जिस किसी से भी संबंधित हो)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी के अनुसार, मैसर्स \_\_\_\_\_ (बोली लगाने वाले का नाम और पूरा पता), जो हमारे बैंक का ग्राहक है, सम्मानित है, और ₹ \_\_\_\_\_ (रुपये \_\_\_\_\_) तक के ऑर्डर पूरे करने में सक्षम है। मैसर्स \_\_\_\_\_ से आज तक हमारे ग्राहक हैं और उन्हें बैंक द्वारा दी गई विभिन्न सुविधाओं के तहत, वर्तमान में, निम्नलिखित लिमिट प्रदान की गई हैं:

.....  
.....

2. मैसर्स \_\_\_\_\_ की वर्तमान ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार नेट वर्थ ₹ \_\_\_\_\_ है।

यह प्रमाणपत्र ग्राहक के विशेष अनुरोध पर जारी किया गया है।

भवदीय,

(बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

**बोली लगाने वाले द्वारा भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में दिए जाने वाले वचन / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रारूप**

(बोलीदाताओं द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,

8-9, विपिन खंड, गोमती नगर

लखनऊ – 226010

**कार्य का नाम :** \_\_\_\_\_

मैं/हम \_\_\_\_\_ (बोली लगाने वाले के देश का नाम और पता सहित) ने 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन F.No. 6/18/2019- पीपीडी और उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट डिवीज़न, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों/संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि \_\_\_\_\_ (बोली लगाने वाले का नाम)

- i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की लाइनें बढ़ा दी हैं, या
- iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। (ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि \_\_\_\_\_ (बोली लगाने वाले का नाम) इस बारे में सभी आवश्यकताएँ पूरी करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेश/रिविज़न के तहत

विचार किए जाने के लिए एलिजिबल है। मैं/हम यह भी वादा करता/करते हैं कि ऐसे अनुबंध के मामले में भी जहाँ हमें बैंक/आरबीआई से उप-अनुबंध करने की अनुमति है, मैं/हम \_\_\_\_\_ (बोली लगाने वाले का नाम) भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के किसी ठेकेदार को कोई काम का उप-अनुबंध नहीं करेंगे, जब तक कि वह ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में दी गई सभी आवश्यकताएँ पूर्ण न कर ले।

4. मैं/हम यह जानते और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन/घोषणा/प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार करने/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा; और साथ ही, बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमाराशि/कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा को ज़ब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम (रबर स्टैम्प सहित)

दिनांक:

स्थान:

**बैंक कर्मचारी के साथ संबंध के निमित्त में घोषणा**

(बोलीदाताओं द्वारा अपने पत्र-शीर्ष पर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,

8-9, विपिन खंड, गोमती नगर

लखनऊ – 226010

महोदय/ महोदया,

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित बैंक कर्मचारी बोलीदाता से संबंधित हैं:

1. संबंध का विवरण (यदि लागू हो):

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	बोलीदाता के साथ संबंध	कार्यालय/विभाग

2. घोषणा:

[ ] मेरा/हमारा कोई भी रिश्तेदार आपके बैंक में कार्यरत नहीं है।

[ ] आपके बैंक में कार्यरत मेरे/हमारे रिश्तेदार(रों) का विवरण ऊपर दिया गया है।

मैं/हम समझते हैं कि गलत जानकारी देना या तथ्यों को छिपाना, बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किए जाने और/या अनुबंध दिए जाने की स्थिति में उसे समाप्त किए जाने का कारण बन सकता है।

आपके विचार करने के लिए धन्यवाद।

स्थान :

दिनांक :

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर (मुहर सहित)



भारतीय रिज़र्व बैंक  
निर्गम विभाग  
लखनऊ

सिक्कों की थैलियों और नोटों के बक्सों की हैंडलिंग के लिए, पर्याप्त संख्या में वयस्क और शारीरिक रूप से सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा

भाग II –  
वित्तीय बोली

ई-निविदा संख्या : **RBI/Lucknow Regional Office/Issue/1/26-27/ET/80**

निविदाकार का नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## नोट:

सभी निविदाकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे बोली लगाने से पूर्व, प्रत्येक मद के अंतर्गत आने वाले कार्य के विवरण हेतु, इस दस्तावेज़ के भाग I में दी गई मदों को देखें।

## भाग II- कीमत बोली

क्र. सं.	कार्य का विवरण (अनुबंध अवधि के दौरान किया जाने वाला कार्य)	मापन की इकाई	प्रति वर्ष संभाली जाने वाली अनुमानित मात्रा (नोट बॉक्स/सिक्कों की थैलियाँ/रद्दी की थैलियाँ/टाट की बोरियाँ/गतिविधियों की संख्या) (Ai)	कोट की गई दर/यूनिट (₹ में) (जीएसटी को छोड़कर) (Bi)	कुल (₹ में) (जीएसटी को छोड़कर) (Ai*Bi)
1	बाहरी प्रेषण: ट्रेन द्वारा - वॉल्ट से नोट के बक्से निकालने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनका वजन करने, बैंक में कंटेनरों में लादने, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतारने और वैगनों में लादने के लिए मज़दूरी शुल्क।	लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स	1000		
		नालीदार नोट बॉक्स	1000		
2	आंतरिक प्रेषण: ट्रेन द्वारा - रेलवे वैगनों से नोट के बक्से उतारने और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कंटेनरों में लादने, कार्यालय में उतारने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनका वजन करने और वॉल्ट में रखने के लिए मज़दूरी शुल्क।	लकड़ी / स्टील के नोट बॉक्स	16000		
		नालीदार नोट बॉक्स	1000		
3	बाहरी प्रेषण: सड़क मार्ग द्वारा - वॉल्ट से नोट के बक्से/सिक्कों की थैलियाँ निकालने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनका वजन करने और बाहरी प्रेषण के लिए कार्यालय में कंटेनर में लादने के लिए मज़दूरी शुल्क।	लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स	24000		
		नालीदार नोट बॉक्स	1000		
		सिक्कों की थैलियाँ	72000		
4	आंतरिक प्रेषण: सड़क मार्ग द्वारा - आंतरिक प्रेषण के लिए कार्यालय में कंटेनर से नोट के बक्से/सिक्कों की थैलियाँ उतारने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनका वजन करने और वॉल्ट में रखने के लिए मज़दूरी शुल्क।	लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स	25000		
		नालीदार नोट बॉक्स	1000		
		सिक्कों की थैलियाँ	50000		
5	भरे हुए बक्सों/सिक्कों की थैलियों को एक वॉल्ट से दूसरे वॉल्ट तक ले जाने और उन्हें फिर से व्यवस्थित करने के काम के लिए मज़दूरी शुल्क।	लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स	3000		
		नालीदार नोट बॉक्स	1000		
		सिक्कों की थैलियाँ	10000		
6	भरे हुए बक्सों/सिक्कों की थैलियों को उसी वॉल्ट के भीतर ले जाने और उन्हें फिर से व्यवस्थित करने के काम के लिए मज़दूरी शुल्क।	लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स	3000		

		नालीदार नोट बक्से	1000		
		सिक्कों की थैलियाँ	10000		
7	भरे हुए बक्सों को उसी वॉल्ट में ले जाने और उन्हें फिर से व्यवस्थित करने के काम के लिए लेबर चार्ज, जिसमें पीवी, पैकिंग आदि शामिल हैं।	लकड़ी/स्टील के नोट बॉक्स	2000		
		नालीदार नोट बॉक्स	2000		
8	वॉल्ट से खाली नोट बक्सों को बाहर निकालने के लिए लेबर चार्ज।	खाली नोट बॉक्स	15000		
9	खाली नोट बक्सों को वॉल्ट से ट्रांसपोर्ट कंटेनरों में लोड करने के लिए लेबर चार्ज।	खाली नोट बॉक्स	12000		
10	<b>विविध कार्य</b>				
10 (i)	यदि लिफ्ट उपलब्ध न हो, तो भरे हुए लकड़ी/स्टील के नोट बक्सों को ऊपर/नीचे ले जाना	लकड़ी/स्टील के नोट बक्से	115		
10 (ii)	यदि लिफ्ट उपलब्ध न हो, तो खाली लकड़ी/स्टील के नोट बक्सों को ऊपर/नीचे ले जाना	लकड़ी/स्टील के नोट बक्से	115		
10 (iii)	स्क्रेप बैगों को श्रेडर में श्रेड करना और श्रेड किए गए स्क्रेप को RBI परिसर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना	रद्दी के थैले	2400		
10 (iv)	श्रेड किए गए करेंसी नोट ब्रिकेट्स से भरे बोरे RBI परिसर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना	कटी हुई करेंसी नोट की ईंटों के बोरे	20000		
	<b>कुल <math>[\Sigma(A_i \times B_i)]</math></b>				

## L1 प्राप्त करने का सूत्र

सबसे कम बोली लगाने वाले (L1) का निर्धारण, कार्य की प्रत्येक मद (Ai) के लिए प्रति वर्ष संभाली जाने वाली अनुमानित मात्रा (नोट बॉक्स/सिक्कों की थैलियाँ/रद्दी की थैलियाँ/टाट की बोरियाँ/गतिविधियों की संख्या) और बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत दरों (Bi) के आधार पर, सूत्र =  $\sum(A_i \times B_i)$  का उपयोग करके किया जाएगा।

### नोट:

- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई चीज़ों के लिए 'शून्य' राशि न बताएं।
- दरें सभी टैक्स मिलाकर होनी चाहिए, लेकिन जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए।
- कीमतें सिर्फ भारतीय रुपए में ही बताई जानी चाहिए।
- ऊपर बताई गई गतिविधियाँ/मात्रा/काम का दायरा सिर्फ पिछले अनुभव के आधार पर एक अनुमान है और भविष्य के कामों में यह बदल सकता है। ठेकेदार, साल भर में संभाले गए नोट बॉक्स/सिक्कों के थैलों की संख्या अनुमानित मात्रा से कम होने पर कोई दावा नहीं करेगा। ऊपर बताई गई गतिविधियाँ/मात्रा/काम का दायरा, पेमेंट का आधार नहीं माना जाएगा। पेमेंट वास्तविक कार्य के आधार पर किया जाएगा।
- टेंडर देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे काम की जगहों, जैसे बैंक परिसर (यानी, आरबीआई, लखनऊ) और रेलवे स्टेशनों पर जाकर, निविदा देने से पहले वहाँ की स्थितियों को अच्छी तरह समझ लें। निविदा देने वालों को काम की सभी चीज़ों के लिए रेट बताने चाहिए; काम के किसी भी हिस्से के लिए अलग से अनुबंध नहीं दिया जाएगा। ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि मज़दूरों के काम की देखरेख के लिए वहाँ मौजूद रहना चाहिए, और जब तक अनुबंध के तहत काम चल रहा हो, तब तक उसे काम की जगह पर ही रहना चाहिए।

(ऊपर दिया गया कीमत बोली का प्रोफ़ॉर्म केवल आपके संदर्भ के लिए है। कीमत बोली केवल एमएसटीसी ई-निविदा पोर्टल पर ही भरा जाना है।)

मैं आरबीआई, लखनऊ द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक: \_\_\_\_\_

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर :

नाम (\_\_\_\_\_)

(फ़र्म/कंपनी की रबर स्टैम्प/मुहर के साथ)